

# MEDIA BEAT

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani

Advocate Bombay High Court.

Specialist in Multi Media Law and Regulation/  
Corporate Law and Regulation and Taxation.



# मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं  
पर एक सामयिक स्तंभ

लेखक: अशोक मनसुखानी

एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट

मल्टी मीडिया कानून और रेग्यूलेशन/कॉर्पोरेट कानून और रेग्यूलेशन  
और टैक्सेशन के विशेषज्ञ।

## WHY OVER REGULATE CABLE INDUSTRY? TIME TO REGULATE BROADCASTERS

### A. IS THERE REALLY A NEED FOR MORE REGULATION OF THE CABLE INDUSTRY?

1. On **25.10.2021**, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) released a Consultation Paper titled "**Market Structure/ Competition in Cable T.V. services**". The Regulator gave the background to the issue of the Consultation Paper, stating that this was based on a new reference from the **Ministry of Information and Broadcasting (M.I.B.)** dated **19.02.2021**.
2. Earlier, the **M.I.B.** had issued a Reference on **12.12.2012** whereby it had sought recommendations of the Authority (TRAI) under **Section 11(1)(a)** of the **TRAI Act, 1997**, on the issues related to **monopoly/ market dominance** in the cable T.V. services.
3. The reference stated that because the Cable T.V. distribution is virtually monopolised by a **single entity** in some States, it has become necessary to examine whether there is a need to bring in reasonable restrictions on Multi-System Operators (M.S.O.s) and Local Cable operators (L.C.O.s), including **restricting their area of operation or restricting the subscriber base to prevent monopoly**.
4. TRAI had, therefore, been requested to provide its recommendations under **Section 11(1)(a)** of the **TRAI Act** on the following issues:



सत्यमेव जयते

Telecom Regulatory Authority of India  
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

## केबल उद्योग को ओवररेगुलेट क्यों?

## प्रसारकों को विनियमित करने का समय

### ए. क्या वास्तव में केबल उद्योग को और अधिक विनियमन की आवश्यकता है?

1. **25.10.2021** को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया। नियामक ने परामर्श पत्र के मुद्दे की पृष्ठभूमि देते हुए कहा कि यह सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के दिनांक **19.02.2021** के नये रेफ़ेंस पर आधारित है।
2. इससे पहले **एमआईबी** ने **12.12.2012** को एक रेफ़ेंस जारी किया था जिसमें उसने केबल टीवी सेवाओं में **एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व** से संबंधित मुद्दों पर **ट्राई अधिनियम, 1997** की धारा **11(1)(ए)** के तहत प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिश की मांग की थी।
3. रेफ़ेंस में कहा गया कि चूंकि कुछ राज्यों में केबल टीवी वितरण पर **एक ही इकाई** का एकाधिकार है इसलिए यह जांचना आवश्यक हो गया है कि क्या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) पर उचित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है जिसमें **उनके संचालन के क्षेत्र को सीमित करना या एकाधिकार को रोकने के लिए ग्राहक आधार को प्रतिबंधित करना भी शामिल है।**
4. इसलिए ट्राई ने निम्नलिखित मुद्दों पर **ट्राई अधिनियम** की धारा **11(1)(ए)** के तहत अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

- ❖ "To ensure fair competition, improved quality of service, and equity, should any restriction be imposed on M.S.O.s/L.C.O.s to **prevent monopolies/accumulation of interest**?"
  - ❖ If yes, what **restrictions** should be imposed and what should be the form, nature, and scope of such restrictions?
  - ❖ Accordingly, **amendments** required in the **Cable Television Networks (Regulation) 1995 Act and Rules** framed thereunder may also be suggested.
5. TRAI completed the Consultation Process as required under **Section 11 (4)** of the **TRAI Act** and issued its Recommendations on 26.11.2013. The key highlights of the **TRAI Recommendations** issued in **November 2013** are summarised below:
- ❖ **2.1** The **State**, with certain exceptions as mentioned in **Table 1.2**, should be considered as the relevant market for assessing the **monopoly/market dominance** of M.S.O.s in the T.V. channel distribution market.
  - ❖ **2.2** The **market dominance** should be determined based on **market share** in terms of the number of **active subscribers** of M.S.O.s in the **relevant market**. For measuring the level of competition or **market concentration** in a relevant market, the **Herfindahl-Hirschman Index (H.H.I.)** should be used.
  - ❖ **2.3** The **threshold value** for any individual/group' entity contribution to the market **H.H.I.** should be no more than **2500**.
  - ❖ **2.4** Any **M&A** among M.S.O.(s) or between an M.S.O. and L.C.O. in a relevant market shall require the **Regulator's prior approval**. The decision on any proposal, complete in all aspects, shall be conveyed within 90 working days.
  - ❖ **2.8** Any arrangement that results in '**control**' of M.S.O. (s)/L.C.O.(s) in a **relevant market** by an entity shall require the **prior approval** of the Regulator. The decision on any proposal, complete in all aspects, shall be conveyed within **90 working days**.
  - ❖ **2.10** In the cases where any group's contribution to market **H.H.I.** is more than **2500** in a relevant market as on the date of issue of guidelines, such legal entity/'group' shall take necessary **remedial measures**, within **12 months** from the date of issue
- ❖ उचित प्रतिस्पर्धा, सेवा के बेहतर गुणवत्ता और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए क्या **एकाधिकार/रूचि के संघ** को रोकने के लिए एमएसओ/एलसीओं पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए?
  - ❖ यदि हां, तो कौन से **प्रतिबंध** लगाये जाने चाहिए और ऐसे प्रतिबंधों का स्वरूप, प्रकृति और दायर क्या होना चाहिए?
  - ❖ इसके अनुसार **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) 1995 अधिनियम** और उसके तहत बनाये नियमों में आवश्यक **संशोधनों** का सुझाव दिया जा सकता है।
5. ट्राई ने ट्राई अधिनियम की धारा **11 (4)** के तहत परामर्श प्रक्रिया पूरी की और **26.11.2013** को अपनी सिफारिशें जारी की। **नवंबर 2013** को जारी **ट्राई की सिफारिशों** की मुख्य विशेषतायें नीचे संक्षेप में दी गयी हैं:
- ❖ **2.1 टेबल 1.2** में कुछ उल्लेखित अपवादों के साथ **राज्य** को टीवी चैनल वितरण बाजार में एमएसओ के **एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व** का आकलन करने के लिए प्रासंगिक बाजार के रूप में माना जाना चाहिए।
  - ❖ **2.2 बाजार के प्रभुत्व** को संबंधित बाजार में एमएसओ के **सक्रिय ग्राहकों** की संख्या के संदर्भ में **बाजार हिस्सेदारी** के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। एक प्रासंगिक बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर या **बाजार की एकाग्रता** को मापने के लिए **हरफिंडाइल-हिर्शमेन-इंडेक्स (एच.एच.आई)** का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - ❖ **2.3** बाजार में किसी व्यक्ति/समूह की इकाई के योगदान के लिए **प्रारंभिक मूल्य एच.एच.आई 2500** से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - ❖ **2.4** संबंधित बाजार में एमएसओ या एमएसओ व एलसीओ के बीच कोई भी **एमएंडए** को **नियामक की पूर्व स्वीकृति** की आवश्यकता होगी। सभी पहलुओं में पूर्ण किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय **90** कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जायेगा।
  - ❖ **2.8** कोई भी व्यवस्था जिसके परिणामस्वरूप किसी इकाई द्वारा **संबंधित बाजार** में एमएसओ/एलसीओ का **नियंत्रण** होता है, उसके लिए नियामक के **पूर्वनुमोदन** की आवश्यकता होगी। सभी पहलुओं में पूर्ण किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय **90** कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जायेगा।
  - ❖ **2.10** ऐसे मामलों में जहां दिशानिर्देश जारी करने की तारीख को संबंधित बाजार में **एचएचआई** किसी समूह का अंशदान **2500** से अधिक है, ऐसी कानूनी इकाई/समूह, विभिन्न एमएसओ/एलसीओ में अपने नियंत्रण को सीमित करने लिए दिशा निर्देश जारी होने की तारीख से **12 महीनों** के भीतर

of guidelines, to limit its '**control**' in various M.S.O. (s)/L.C.O. (s) in such a way that the contribution to market **H.H.I.** of that 'group' reduces to less than or equal to **2500**.

- ❖ **2.11** Any M.S.O. who by itself contributes to more than **2500 HHI** in a relevant market should not be permitted to merge with or acquire the '**control**' of any other MSO/ LCO in that relevant market.
  - ❖ **2.11** Also, the Tariff Offerings, Interconnect Agreements, Must-Carry provisions, and the Quality of Service of such M.S.O.'s would be closely monitored by TRAI for any **anti-competitive** practices.
  - ❖ **2.15** *The Cable T.V. Networks Rules may be amended to incorporate the rules on M&A/ acquisition of control, framed to prevent monopolies/accumulation of interest in the cable T.V. services and make it mandatory for M.S.O.s to comply with the same.*
6. The back reference of **February 2021** stated that the **2013 Recommendations** by TRAI had been considered in the Ministry (*nearly 8 years later!*). The Ministry of I and B observed that considerable time has passed since the recommendations were made as the media and entertainment landscape has changed drastically, particularly with the Sector's digital technologies.
7. Therefore, the M.I.B. felt that some of the issues needed further consideration by the Authority. It asked TRAI to provide a **fresh set** of recommendations looking to subsequent developments/ expansion in the media-entertainment sector. One of the key concerns expressed by the Government was whether the **2013 Recommendations** would affect the **ease of doing business**-a key policy objective of the Government.
8. The new **Consultation Paper** is a **treasure trove** of rarely publicised data which is very useful for the Industry to analyse and sets the background in which new queries are raised by TRAI.
9. Key **contemporary data** are summarised below: -
- ❖ The Indian Media & Entertainment (M&E) industry is a **sunrise sector** for the Economy. It has shown tremendous growth over the years. The Industry grew from **INR 1.026 trillion in 2014** to **INR 1.38 trillion in 2020**.



सत्यमेव जयते  
Ministry of Information & Broadcasting  
Government of India

आवश्यक **उपचारात्मक उपाय** करेगा ताकि उस समूह के एचएचआई के बाजार में योगदान कम या **2500** के बराबर हो जाये।

- ❖ **2.11** कोई भी एमएसओ, जो स्वयं संबंधित बाजार में **2500 से अधिक एचएचआई** में योगदान करता है, को उस प्रासंगिक बाजार में किसी अन्य एमएसओ/एलसीओ के साथ विलय या **नियंत्रण** हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  - ❖ **2.11** साथ ही, टैरिफ ऑफरिंग, इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट, मस्ट कैरी प्रावधान और ऐसे एमएसओ की सेवा की गुणवत्ता की किसी भी **प्रतिस्पर्धा विरोधी** प्रथाओं के लिए ट्राई द्वारा वारीकी से निगरानी की जायेगी।
  - ❖ **2.15** **केवल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/रूचि के संचय को रोकने के लिए बनाये गये एमएंडए/नियंत्रण के अधिग्रहण पर नियमों को शामिल करने के लिए केवल टीवी नेटवर्क नियमों में संशोधन किया जा सकता है और एमएसओ के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य बनाया जा सकता है।**
6. **फरवरी 2021** में बैंक रेफ्रेंस में कहा गया है कि **ट्राई** द्वारा **2013 की सिफारिशों** पर मंत्रालय में विचार किया गया था (**लगभग 8 साल के बाद**)। आई और बी मंत्रालय ने देखा कि सिफारिशों को किये गये काफी समय बीत चुका है क्योंकि मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में काफी बदलाव आया है, खासकर सेक्टर की डिजिटल तकनीकों के साथ।
7. इसलिए एमआईबी ने महसूस किया कि कुछ मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा और विचार करने की आवश्यकता है। इसने ट्राई से मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में बाद के विकास/विस्तार को देखते हुए सिफारिशों का एक **नया सेट** प्रदान करने के लिए कहा। सरकार द्वारा व्यक्त की गयी प्रमुख चिंताओं में से एक में यह थी कि क्या **2013** की सिफारिशें **व्यवसाय करने में आसानी** को प्रभावित करेगी, जो सरकार का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य था।
8. नया **परामर्श पत्र दुर्लभ रूप** से प्रचारित डेटा का खजाना है जो उद्योग के विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है और उस पृष्ठभूमि को सेट करता है जिसमें ट्राई द्वारा नये प्रश्न उठाये जाते हैं।
9. प्रमुख **समसामयिक आंकड़ों** का सार नीचे दिया जा रहा है-
- ❖ भारतीय मीडिया और मनोरंजन (एमएंडए) उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए एक **उभरता हुआ क्षेत्र** है। इसने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। उद्योग **2014 में 1.026 ट्रिलियन रुपये** बढ़कर **2020 में 1.38 ट्रिलियन रुपये** हो गया।

- ❖ Further, with the digitisation and evolution of Broadband networks, the Sector offers enormous potential for increased demand and revenues.
- ❖ India's Television Industry stands at **INR 68,500 crores** in **2020** compared to **INR 78,800 crores** in **2019**. (A fall of **Rs. 10,300 crores**).
- ❖ Subscription revenues account for around **60-65%** of the overall industry revenue. Subscription revenues *had fallen* from **INR 46,800 crores** in **2019** to **INR 43,400 crores** in **2020**. (A fall of **Rs. 3400 crores**).
- ❖ On a similar note, **Advertisement revenue** during **2020** was **INR 25,100 crores** compared to **INR 32,000 crores** in **2019**. The decline (of **Rs. 6900 crores**) is attributable to **COVID 19**.
- ❖ However, as the spread of Coronavirus reduces, the Television industry is registering an upward movement. As per the latest report issued by the **Broadcast Audience Research Council, India (BARC)** in **June 2021**, in the first half of **2021**, weekly T.V. Viewership stood at an of **921 billion viewing minutes**.
- ❖ The T.V. Broadcasting Sector encompasses **357 broadcasters** as of **31 August 2021**. Further, there are **1733** registered **M.S.O.s** as of **1 September 2021**, approximately **1,55,303** cable operators as of **March 2021**, **1** HITS operator, **4** pay D.T.H. operators, and a few IPTV operators in addition to the Public Service Broadcaster – **Doordarshan** – providing a free-to-air D.T.H. service in India.
- ❖ At the end of **March 2021**, an estimated **184.14 million T.V. households** were served by the Cable T.V. services, D.T.H. services, HITS services, IPTV services, and a Terrestrial T.V. network of Doordarshan.
- ❖ The **Pay T.V.** universe consists of around **73 million Cable T.V. subscribers**, **70.99 million total active D.T.H. subscribers** and **2.15 million HITS subscribers**. In addition, there are **38 million subscribers of Free-to-Air D.T.H. Service** and terrestrial T.V. services are provided by Doordarshan.
- ❖ The number of registered M.S.O.s has increased significantly from around **160** at the beginning of **2015** to **1733** in **September 2021**.
- ❖ इसके अलावा, ब्रॉडबैंड नेटवर्क के डिजिटलीकरण और विकास के साथ, यह क्षेत्र बढ़ी हुई मांग और राजस्व के लिए व्यापक संभावनायें प्रदान करता है।
- ❖ भारत का टेलीविजन उद्योग **2019 में 78800 करोड़ रुपये** की तुलना में **2020 में 68500 करोड़ रुपये** है (**10300 करोड़ रुपये** की गिरावट के साथ)
- ❖ सब्सक्रिप्शन आय कुल उद्योग राजस्व का लगभग **60-65%** है। सब्सक्रिप्शन राजस्व **2019 में 46,800 करोड़ रुपये** से गिरकर **2020 में 43400 करोड़ रुपये** हो गया था (**3400 करोड़ रुपये** की गिरावट के साथ)।
- ❖ इसी तरह **2019 में 32300 करोड़ रुपये** की तुलना में **2020** के दौरान **विज्ञापन राजस्व 25100 करोड़ रुपये** था। **6900** करोड़ रुपये की गिरावट **कोविड 19** के कारण हुआ था।
- ❖ हालांकि जैसे जैसे कोरोनावायरस का प्रसार कम होता जा रहा है, टेलीविजन उद्योग ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार **जून 2021** में **ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इंडिया (बीएआरसी)** द्वारा मुकदमा दायर किया गया, **2021** की पहली छमाही में साप्ताहिक टीवी व्यूअरशिप **921 बिलियन व्यूइंग मिनट** थी।
- ❖ टीवी प्रसारण क्षेत्र में **31 अगस्त 2021** तक **357 प्रसारकों** को शामिल किया गया है। इसके अलावा, **1 सितंबर 2021** को **1733** पंजीकृत **एमएसओ** हैं, **मार्च 2021** तक लगभग **1,55,303** केवल ऑपरेटर, **1** हिट्स ऑपरेटर, **4** पे डीटीएच ऑपरेटरों और **कुछ** आईपीटीवी ऑपरेटरों के अलावा लोक सेवा प्रसारक-दूरदर्शन भारत में फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा प्रदान कर रहा है।
- ❖ **मार्च 2021** के अंत तक, केवल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवा, आईपीटीवी सेवा, हिट्स सेवा और दूरदर्शन के टेरिस्ट्रियल टीवी नेटवर्क द्वारा अनुमानित **184.14 मिलियन टीवी** घरों को सेवा प्रदान की गयी।
- ❖ **पेटीवी** जगत में लगभग **73 मिलियन केवल टीवी ग्राहक**, **70.99 मिलियन कुल सक्रिय डीटीएच ग्राहक** और **2.15 मिलियन हिट्स ग्राहक** हैं। इसके अलावा दूरदर्शन द्वारा **फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा** और टेरिस्ट्रियल टीवी सेवाओं के **38 मिलियन ग्राहक** हैं।
- ❖ पंजीकृत एमएसओ की संख्या **2015** की शुरुआत में लगभग **160** से सितंबर **2021** में **1733** तक पहुंच गयी।
- ❖ इसके अलावा **4** पे डीटीएच ऑपरेटर भारत में लगभग **70**

- ❖ In addition, 4 pay D.T.H. operators are offering **D.T.H. service** in India to approximately **70 million active subscribers**.
  - ❖ As per a **BARC TV Universe**, estimated T.V. owning households represent about **two-thirds** of all households. However, as per the estimates, there are **25.5 million T.V. homes** in Maharashtra and Goa and **22.6 million T.V. homes** in Tamil Nadu and Puducherry, while on the other hand, there are only **6.8 million T.V. homes** in Assam, Nagaland, and Sikkim.
  - ❖ TRAI observes that From **Table 2.1** and **Table 2.2** of the Consultation Paper, *one may aver that as multiple distribution platforms are available, the potential monopoly of a single service provider like an M.S.O. is unlikely.*
  - ❖ Further, as per the M.I.B. guidelines, even an individual can get himself registered as an M.S.O. by submitting a processing fee of a mere **INR One lakh (Rs. 1,00,000/-)**. Also, the estimated cost of setting up a **250-channel headend** is **INR 2.75 million**. The application procedure has been simplified to a great extent. One can now apply online on the **Broadcast Seva** portal of **M.I.B.** There are quite a few instances where L.C.O.s come together and start operating as M.S.O.s. Such L.C.O. groupings have a definite business advantage as they understand the business from the grassroots levels.
  - ❖ Further, as per the data shared by the service providers with TRAI in **May 2021**, the top **14 M.S.O.s** serve **45.7 million** customers. As per the subscriber base data of the top **15 D.P.O.s (M.S.O.s and HITS)** (as reported to TRAI), a large percentage of an M.S.O.s subscriber base comes through L.C.O.s. Out of the total number of subscribers of an M.S.O., **97.5%** of the subscribers are *secondary subscribers* (through L.C.O.s).
10. TRAI says one crucial parameter is the (*large*) percentage of consumers being served through L.C.O.s. Furthermore, L.C.O.s are not dependent on any single M.S.O. L.C.O.s have the flexibility to shift to another M.S.O. seeking additional profit or in case of any unfavourable circumstances. In addition, L.C.O.s can also reach remote, far-flung areas through HITS operators as telecom bandwidth has become far more economical in the few years.
- मिलियन सक्रिय उपभोक्ताओं को डीटीएच सेवा प्रदान कर रहे हैं।**
- ❖ **बीएआरसी टीवी यूनिवर्स** के अनुसार, अनुमानित टीवी वाले घर सभी घरों के लगभग **दो-तिहाई** का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र और गोवा में **25.5 मिलियन टीवी घर** और तमिलनाडु व पुडुचेरी में **22.6 मिलियन टीवी घर** हैं जबकि दूसरी ओर असम, नागालैंड व सिक्किम में केवल **6.8 मिलियन टीवी घर** हैं।
  - ❖ ट्राई का मानना है कि परामर्श पत्र की **टेबल 2.1** और **टेबल 2.2** से **कोई यह कह सकता है कि चूंकि कई वितरण प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, इसलिए एमएसओ जैसे एकल सेवा प्रदाता के संभावित एकाधिकार की संभावना नहीं है।**
  - ❖ इसके अलावा एमआईबी दिशानिर्देशों के अनुसार यहां तक कि एक व्यक्ति भी केवल **एक लाख रुपये (100000 रुपये)** की प्रोसेसिंग शुल्क जमा करके खुद को एमएसओ के रूप में पंजीकृत करवा सकता है। इसके अलावा **250 चैनल वाले हेडएंड** की स्थापना की अनुमानित लागत **2.75 मिलियन रुपये** है। आवेदन प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बनाया गया है। अब कोई भी एमआईबी के **प्रसारण सेवा** पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां एलसीओ एक साथ आते हैं और एमएसओ के रूप में काम शुरू कर देते हैं। ऐसे एलसीओ समूहों को एक निश्चित व्यवसायिक लाभ होता है क्योंकि वे जमीनीस्तर पर व्यवसाय को समझते हैं।
  - ❖ इसके अलावा मई **2021** में सेवा प्रदाता द्वारा ट्राई के साथ साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष **14 एमएसओ 45.7 मिलियन** ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। शीर्ष **15 डीपीओ (एमएसओ व एचआईटीएस)** (जैसाकि ट्राई को रिपोर्ट किया गया) के ग्राहक आधार डेटा के अनुसार, एमएसओ ग्राहक आधार का एक बड़ा प्रतिशत एलसीओ के माध्यम से आता है। एक एमएसओ के कुल ग्राहकों में से **97.5%** ग्राहक **सेकेंडरी सब्सक्राइबर (एलसीओ के माध्यम से)** हैं।
10. ट्राई का कहना है कि एलसीओ के माध्यम से उपभोक्ताओं का (**बड़ा**) प्रतिशत एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके अलावा एलसीओ किसी एक एमएसओ पर निर्भर नहीं हैं। एलसीओ के पास दूसरे एमएसओ में शिफ्ट होने की छूट है। अतिरिक्त लाभ की तलाश में या किसी प्रतिकूल परिस्थितियों के मामले में किसी अन्य एमएसओ को स्थानांतरित करने की छूट है। इसके अलावा, एलसीओ, हिट्स ऑपरेटरों के माध्यम से दूरस्थ, दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच

11. TRAI further says the Sector presents a vibrant scenario with varied distribution platform operators such as M.S.O., D.T.H., HITS, and IPTV. Furthermore, the new regulatory framework has enabled more growth as it restricts distortionary and discriminatory practices. Due to the new framework, the total number of M.S.O.s has been consistently growing in recent years.
12. *Such developments augur well for the competition. One may opine that there is already enough competition in the market, and there is no need to regulate the issue of monopoly/market dominance in cable services at present.*
13. It, however, points out that a **counterpoint** to this is the level of competition in the M.S.O.s' business is not uniform. D.T.H. service providers do offer an alternate option for consumers. But Cable T.V. operators can provide broadband and voice services in addition to the distribution of T.V. channels, which D.T.H. operators cannot.
14. Furthermore, **competition within** the Cable T.V. sector is essential as Cable T.V. networks operate on a State/regional basis and can choose specific channels to be supplied according to the demand in a particular area. In contrast, D.T.H. services operate nationally and transmit the same channels throughout the country irrespective of the need for channels in different markets.
15. TRAI has taken note of the explosive growth of O.T.T. Platforms, stating that in the Financial Year 2019-20, the Digital and O.T.T. Sector registered an increase of **26%**, the highest growth amongst other segments of the M&E Sector. To derive benefit from O.T.T. platforms, many Internet Service Providers (I.S.P.s) across the country are bundling **subscription**-based video streaming O.T.T. platforms to allure new subscribers. This pattern of bundling O.T.T. services in their offerings is used by almost all telecom service providers.
16. *This is why TRAI feels that the consumers have sufficient options to avail themselves of Television Broadcasting Services. Further, as highlighted in the current reference of M.I.B., considerable time had elapsed since TRAI's previous Recommendations in November 2013.*
17. Meanwhile, with the advent of digital technologies, सकता है क्योंकि कुछ वर्षों में दूरसंचार बैंडविड्थ कहीं अधिक क़िफ़ायती हो गया है।
11. ट्राई आगे कहता है कि यह क्षेत्र एमएसओ, डीटीएच, हिट्स और आईपीटीवी जैसे विभिन्न वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के साथ एक **जीवंत परिदृश्य** प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, नये नियामक ढांचे ने अधिक विकास को सक्षम किया है क्योंकि यह विकृति और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को प्रबंधित करता है। नये ढांचे के कारण, हाल के वर्षों में एमएसओ की कुल संख्या लगातार बढ़ रही है।
12. **इस तरह के घटनाक्रम प्रतियोगिता के लिए शुभ संकेत है। कोई यह मान सकता है कि बाजार में पहले से ही प्रतिस्पर्धा है और वर्तमान में अक्षम सेवाओं के एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व के मुद्दे को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।**
13. हालांकि, यह इंगित करता है कि इसका एक **प्रतिवाद** एमएसओ में प्रतिस्पर्धा का स्तर है, व्यवसाय एकसमान नहीं है। डीटीएच सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान करते हैं। लेकिन केवल टीवी ऑपरेटर टीवी चैनलों के वितरक के अलावा ब्रॉडबैंड और वॉयस सेवायें प्रदान कर सकते हैं जो कि डीटीएच ऑपरेटर नहीं कर सकते हैं।
14. इसके अलावा केवल टीवी **क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा** आवश्यक है क्योंकि केवल टीवी नेटवर्क राज्य/क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं और किसी क्षेत्र विशेष की मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए विशिष्ट चैनल चुन सकते हैं। इसके विपरित डीटीएच सेवायें राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती हैं और अलग-अलग बाजारों में चैनलों की आवश्यकता के बावजूद पूरे देश में एक ही चैनल प्रसारित करती है।
15. **ट्राई** ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों की विस्फोटक वृद्धि पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष **2019-20** में, डिजिटल और ओटीटी क्षेत्र ने **26%** की वृद्धि दर्ज की, जो एमएंडई क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि है। ओटीटी प्लेटफॉर्मों से लाभ प्राप्त करने के लिए देश भर में कई इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) नये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सदस्यता आधारित वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंडल कर रहे हैं। ओटीटी सेवाओं को उनके ऑफर में बंडल करने का यह पैटर्न लगभग सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।
16. **यही कारण है कि ट्राई को लगता है कि उपभोक्ताओं के पास टेलीविजन प्रसारण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त विकल्प है। इसके अलावा जैसाकि एमआईबी के वर्तमान रेफरेंस में बताया गया है कि नवंबर 2013 में ट्राई की पिछली सिफारिशों के बाद काफी समय बीत चुका है।**

the Television Services landscape has changed substantially. Technological developments, especially the I.P. technology and increasing packet-switched digital communications, have made **converged services** possible. The telecom networks can provide access to broadcasting in addition to Telecommunication services. Similarly, with digitisation, cable T.V. networks can also provide Internet access and telephone services. Market-related convergence also occurs as consumers desire **one-stop** services.

18. Therefore, it is important to examine the subject of the monopoly of Cable Services in-toto, considering all alternative options. TRAI opines that the new regulatory framework (notified in **March 2017** and implemented in **December 2018**) has, to a certain extent, curbed the tendency of M.S.O.s to form monopolies or abuse their dominance. The framework put an end to the earlier practice of discriminatory pricing by Broadcasters. Such discriminatory pricing almost always worked to the disadvantage of small M.S.O.s. Thus, the framework has helped establish a level-playing field between large and small M.S.O.s. The recent spurt in new registrations of M.S.O.s is attributable to it.
19. The Regulator has raised **twenty-six issues** of Consultation, which are available in the Consultation paper. Key topics of Consultation are discussed below with brief responses.

### ISSUES FOR CONSULTATION

- Q1: Given that there are **multiple options** for consumers to avail of television services, do you think there is **sufficient competition** in the television distribution sector? Elaborate your answer with reasoning/analysis/justification.
- Q2: Considering the **current regulatory framework** and the market structure, do you think there is a need to regulate the issue of monopoly/oligopoly/market dominance in Cable T.V. Services? Do provide reasoning/justification, including data substantiating your response
- Q3: Keeping in view the market structure of the television broadcast sector, suggest proactive measures that may address impending issues related to **monopoly/market dominance** in the Cable T.V. sector? Provide

17. इस बीच डिजिटल तकनीकी के आगमन के साथ, टेलीविजन सेवाओं का परिदृश्य काफी हद तक बदल गया है। तकनीकी विकास, विशेष रूप से आईपी तकनीकी और बढ़ते पैकेट-स्विच्ड डिजिटल संचार ने **कन्वर्जेंस सेवाओं** को संभव बना दिया है। दूरसंचार नेटवर्क दूरसंचार सेवाओं के अलावा प्रसारण तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह, डिजिटलीकरण के साथ केबल टीवी नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस और टेलीफोन सेवाओं भी प्रदान कर सकते हैं। बाजार से संबंधित कन्वर्जेंस भी होता है क्योंकि उपभोक्ता **वन स्टॉप** सेवाओं की इच्छा रखते हैं।
18. इसलिए, सभी वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करते हुए केबल सेवाओं के एकाधिकार के विषय की जांच करना महत्वपूर्ण है। ट्राई का मानना है कि नये नियामक ढांचे (**मार्च 2017** में अधिसूचित और **दिसंबर 2018** में लागू) ने कुछ हद तक एमएसओ की एकाधिकार बनाने या उनके प्रभुत्व का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है। इस ढांचे ने प्रसारकों द्वारा भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। इस तरह के भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण ने लगभग हमेशा छोटे एमएसओ के नुकसान के लिए काम किया है। इस प्रकार, ढांचे ने बड़े व छोटे एमएसओ के बीच एक समान अवसर स्थापित करने में मदद की है। एमएसओ के नये पंजीकरण में शत-प्रतिशत वृद्धि इसके कारण है।
19. नियामक ने परामर्श के लिए **26 मुद्दे** उठाये हैं, जो परामर्श पत्र में उपलब्ध है। संक्षिप्त प्रतिक्रियाओं के साथ परामर्श के प्रमुख विषयों पर नीचे चर्चा की गयी है।

### परामर्श के लिए मुद्दे हैं

- प1: यह देखते हुए कि उपभोक्ताओं के लिए टेलीविजन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **कई विकल्प** है, क्या आपको लगता है कि टेलीविजन वितरण क्षेत्र में **पर्याप्त प्रतिस्पर्धा** है? अपने उत्तर तर्क/विश्लेषण/औचित्य के साथ विस्तृत करें।
- प2: **वर्तमान नियामक ढांचे** और बाजार संरचना को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/अल्पाधिकार/बाजार प्रभुत्व के मुद्दे को विनियमित करने की आवश्यकता है? अपनी प्रतिक्रिया की पुष्टि करने वाले डेटा सहित तर्क/औचित्य प्रदान करें।
- प3: टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र की बाजार संरचना को ध्यान में रखते हुए, सक्रिय उपायों का सुझाव दें, जो केबल टीवी क्षेत्र में **एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व** से संबंधित आसन्न मुद्दों को

reasoning/details, including data (if any) to justify your comments.

### Response: (1-3)

*Out of 184.14 million T.V. Households, the Pay T.V. universe consists of 73 million Cable T.V. subscribers, 70.99 million actives D.T.H. subscribers, 2.15 million HITS subscribers and 36 million Free To Air D.T.H. service terrestrial services provided by Doordarshan.*

*The 73 million cables T.V. subscribers are served by 1733 registered Multi System Operators and over 155303 cable operators.*

*Even though there is a greater concentration of M.S.O.'s and Cable T.V. operators in Delhi/Karnataka/Rajasthan/West Bengal and Maharashtra, some states like Tamil Nadu/Punjab/Odisha/Kerala and Uttar Pradesh have lesser M.S.O.'s and Cable Operators. But these States have active D.T.H. services, which have now introduced smart boxes, thus giving heavy competition to the natural advantage of M.S.O.'s offering broadband services.*

*There is absolutely no need to bring any more artificial controls to curb the natural growth of the cable distribution sector.*

- Q4. Do you think that there are **entry barriers** in the Indian cable television sector? If yes, please provide the list and suggest suitable measures to address these? Do provide justification for your response.
- Q5. Do you think there is a need to **regulate L.C.O.'s** to protect the interest of consumers and ensure growth/competition in the cable T.V. sector? If yes, then kindly suggest suitable regulatory/policy measures. Support your comments with reasoning/justification.

### Response (4-5).

*There have been no significant entry barriers in the Cable T.V. Distribution industry in the past decade. This is acknowledged by TRAI in the Consultation Paper. However, there are processing delays, especially on security clearances which could be put into a 90-day deadline in the ordinary course.*

*The interests of consumers are better served by giving freedom of business to cable operators with their large feet on street staff to service homes of all demographics from slums to penthouses in urban areas and districts, taluks, villages, and far-flung rural areas.*

संबोधित कर सकते हैं? अपनी टिप्पणियों को सही ठहराने के लिए डेटा (यदि कोई हो) सहित तर्क/विवरण प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (1-3)

*184.14 मिलियन टीवी घरों में से, पे टीवी यूनिवर्स में 73 मिलियन केबल टीवी ग्राहक, 70.99 मिलियन सक्रिय डीटीएच ग्राहक, 2.15 मिलियन हिट्स ग्राहक और दूरदर्शन द्वारा प्रदान की जाने वाली फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा व टेरिस्ट्रियल सेवा के 36 मिलियन ग्राहक शामिल हैं।*

*73 मिलियन केबल टीवी ग्राहकों को 1733 पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और 155303 से अधिक केबल ऑपरेटरों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।*

*भले ही दिल्ली/कर्नाटक/राजस्थान/पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एमएसओ और केबल टीवी ऑपरेटरों की अधिक संख्या है, तमिलनाडु/पंजाब/उड़ीसा/केरल और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में एमएसओ और केबल ऑपरेटर कम हैं। लेकिन इन राज्यों में सक्रिय डीटीएच सेवाएँ, जिन्होंने अब स्मार्ट बॉक्स पेश किये हैं, इस प्रकार ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश करने वाले एमएसओ के प्राकृतिक लाभ को भारी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं।*

*केबल वितरण क्षेत्र के प्राकृतिक विकास को रोकने के लिए और अधिक कृत्रिम नियंत्रण लाने की विल्कुल आवश्यकता नहीं है।*

- प्र4: क्या आपको लगता है कि भारतीय केबल टेलीविजन क्षेत्र में **प्रवेश बाधाएँ** हैं? यदि हां, तो कृपया सूची उपलब्ध कराएँ और इनका समाधान करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएँ? अपनी प्रतिक्रिया के लिए औचित्य प्रदान करें।
- प्र5: क्या आपको लगता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और केबल टीवी क्षेत्र में विकास/प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए **एलसीओ को विनियमित** करने की आवश्यकता है? यदि हां, तो कृपया उपयुक्त नियामक/नीतिगत उपायों का सुझाव दें। तर्क/औचित्य के साथ अपनी टिप्पणी का समर्थन करें।

### प्रतिक्रिया (4-5)

*पिछले एक दशक में केबल टीवी वितरण उद्योग में कोई महत्वपूर्ण प्रवेश बाधा नहीं रही है। ट्राई के परामर्श पत्र ने इसे स्वीकार किया है। हालांकि प्रसंस्करण में देरी हो रही है, विशेष रूप से सुरक्षा मंजूरी पर, जिसे सामान्य हालत में 90 दिनों की समय सीमा में रखा जा सकता है।*

*शहरी क्षेत्रों और जिलों में, तालुका, गांवों, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर पेंटहाउस तक सभी जनसांख्यिकी के सेवा घरों में स्ट्रीट स्टाफ पर अपने बड़े पहुंच के साथ केबल ऑपरेटरों को व्यवसाय की स्वतंत्रता देकर उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सेवा की जाती है।*



*Even though there are over 1700 registered M.S.O.'s, an overwhelming number of operators exist who actually provide services to the customers. The relationships between the two have been smoothed by a series of TRAI's regulatory initiatives in the past decade.*

*There is no need to further regulate last mile operators. Procedural issues like granting post office registration for five years at a time instead of annually are recommended.*

*Further, the demand for industry status in the MSME sector to help with bank financing/simpler tax regimes are all long-pending demands.*

- Q6. What should be the norms of **sharing infrastructure** at the level of L.C.O. to enable broadband services through the cable television infrastructure for last-mile access?

### Response (6)

*There are three ways to share infrastructure not only for broadband but also many other value-added services. Firstly, the Government utilities like Railways/Oil and Power can allow fibre access to set up broadband capacity to supply to their customers. Secondly, the 1700 MSOs can be asked to ensure their linked Last Mile Operators to their Broadband networks. Finally, the LMOs can utilise the I.S.P. licences of Telecom Service Providers like Airtel/Jio/Vodafone Idea. The first is most preferred.*

- ◆ Is there a possibility that L.C.O. may gain undue market control over broadband and other services within its area of operation? If yes, suggest suitable measures to prevent such market control. Provide detailed comments and justify your answer.

### Response (6)

*The latest Government Indian Brand Equity Federation (IBEF) data reveals 781 million Internet subscribers. Most of these services are provided by Telecom Service Providers. In contrast, the total number of wired broadband customers is less than 22 million as per the latest data. Here too, the lead is taken by BSNL/ Airtel/ Jio/Atria Convergence and Hathway. The question of monopoly does not arise.*

- Q7. What should be the **relevant market** for measuring the market power of cable services? Do provide full justification for your response.

भले ही 1700 से अधिक पंजीकृत एमएसओ हैं, फिर भी बड़ी संख्या में ऑपरेटर मौजूद हैं जो वास्तव में ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। पिछले एक दशक में ट्राई की नियामक पहलों की एक श्रृंखला द्वारा दोनों के बीच संबंधों को सुगम बनाया गया है।

लास्ट माइल ऑपरेटरों को और अधिक विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वार्षिक के बजाय एक बार में पांच साल के लिए पंजीकरण देने जैसे प्रक्रियात्मक मुद्दों की सिफारिश की जाती है।

इसके अलावा बैंक वित्तपोषण/सरल कर व्यवस्थाओं में मदद के लिए एमएसएमई क्षेत्र में उद्योग की स्थिति की मांग सभी लंबे समय से लंबित मांग है।

- प्र6: एलसीओ के स्तर पर **बुनियादी ढांचे को साझा** करने के मानदंड क्या होने चाहिए, ताकि केवल टेलीविजन के बुनियादी ढांचे के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं को सक्षम बनाया जा सके।

### प्रतिक्रिया (6)

न केवल ब्रॉडबैंड के लिए बल्कि कई अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे को साझा करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले रेलवे/तेल और विजली जैसी सरकारी सुविधायें अपने ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए ब्रॉडबैंड क्षमता स्थापित करने के लिए फाइबर एक्सेस की अनुमति दे सकती हैं। दूसरे 1700 एमएसओ को अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़े लास्ट माइल ऑपरेटरों को सुनिश्चित करने के लिए कहा जा सकता है। अंत में, एलएमओ, एयरटेल/जियो/वोडाफोन-आइडिया जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आईएसपी लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकता है। पहले को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

- ◆ क्या एलसीओ अपने परिचालन के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाओं पर अनुचित बाजार नियंत्रण हासिल कर सकता है? यदि हां तो ऐसे बाजार नियंत्रण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय सुझायें। विस्तृत टिप्पणियां दें और अपने उत्तर की पुष्टि करें।

### प्रतिक्रिया (6)

नवीनतम सरकारी भारतीय ब्रॉड इक्विटी फेडरेशन (आईबीईएफ) के आंकड़ों से 781 मिलियन इंटरनेट ग्राहकों का पता चलता है। इनमें से अधिकांश सेवायें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके विपरीत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वायर्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या 22 मिलियन से भी कम हो गयी है। यहां भी वीएसएनएल / एयरटेल / जियो / अट्रिया कन्वर्जेंस और हेथवे द्वारा लीड ली गयी है। इसलिए एकाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

- प्र7: केवल सेवाओं की बाजार शक्ति को मापने के लिए **प्रासंगिक बाजार** क्या होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।

- Q8. Can a state, city, or sub-city be identified as the **relevant geographic market** for cable television services? What should be the factors in consideration while defining the relevant geographic market for cable television services? Do provide full justification for your response.
- Q9. Do you think that M.S.O.'s and its Joint Ventures (J.V.) should be treated as a **single entity** while considering their strength in the relevant market? If yes, what should be the thresholds to define an M.S.O. and its J.V. as a single entity? Do provide full justification for your response.
- Q10. Which method is best suited for measuring the level of competition or **market concentration** of M.S.O.'s or L.C.O.'s in a relevant market? Provide your suggestions with justification. Do you think that H.H.I. is appropriate to measure the market concentration of M.S.O.'s in the relevant market? Do provide full justification for your response. If yes, then in your opinion, should M.S.O. and its J.V.'s be considered a single entity for calculating their H.H.I.? Do provide supporting data with proper justification for your response.
- Q11. In case you are of the opinion that **H.H.I.** may be used to measure the **market concentration** of M.S.O.'s in the relevant market, then is there a need to revise the threshold **H.H.I.** value of **2500** as previously recommended? If yes, what should be the threshold value of market share beyond which an M.S.O. and its group companies should not be allowed to build market share on their own? Do provide full justification for your response.
- Q12. Do you think there should be an **assessment of competition** at L.C.O.'s level on a district/ town basis? If yes, what should be threshold H.H.I. in your opinion for such assessment. Justify your answer with detailed comments and examples.
- Q13. In cases where an M.S.O. controls more than the **prescribed threshold**, what measures/ methodology should be adopted to regulate so as to bring the market share/H.H.I. below the threshold level? Specify modalities for implementation and effects of such process. Do provide full justification of your response.

### Response (7-13)

*With the proper mapping of urban conglomerations*

- प्र8: क्या केवल टेलीविजन सेवाओं के लिए **प्रासंगिक भौगोलिक बाजार** के रूप में एक राज्य, शहर या उप-शहर की पहचान की जा सकती है? केवल टेलीविजन सेवाओं के लिए प्रासंगिक भौगोलिक बाजार के परिभाषित करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।
- प्र9: क्या आपको लगता है कि प्रासंगिक बाजार में उनकी ताकत पर विचार करते हुए एमएसओ और उसके संयुक्त उद्यमों (जेवी) को **एक इकाई** के रूप में माना जाना चाहिए? यदि हां, तो एक एमएसओ और उसके संयुक्त उद्यम को एक इकाई के रूप में परिभाषित करने के लिए क्या सीमायें होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।
- प्र10: प्रासंगिक बाजार में एमएसओ और एलसीओ की प्रतिस्पर्धा के स्तर या **बाजार की एकाग्रता** को मापने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? औचित्य सहित अपने सुझाव दें। क्या आपको लगता है कि प्रासंगिक बाजार में एमएसओ की बाजार एकाग्रता को मापने के लिए एचएचआई उपयुक्त है? अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें? यदि हां तो आपकी राय में क्या एमएसओ और उसके संयुक्त उपक्रम को अपने एचएचआई गणना करने वाली एक इकाई माना जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया के लिए उचित औचित्य के साथ सहायक डेटा प्रदान करें।
- प्र11: यदि आपकी राय है कि **एचएचआई** का उपयोग संबंधित बाजार में एमएसओ की **बाजार एकाग्रता** को मापने के लिए किया जा सकता है तो क्या पहले की सिफारिश के अनुसार **2500** के एचएचआई मूल्य को संशोधित करने की आवश्यकता है? यदि हां तो बाजार हिस्सेदारी की वह प्रारंभिक मूल्य क्या होना चाहिए जिसके आगे एक एमएसओ और उसके समूह की कंपनियों को अपने दर पर बाजार हिस्सेदारी बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।
- प्र12: क्या आपको लगता है कि जिला/नगर के आधार पर एलसीओ के स्तर पर **प्रतिस्पर्धा का आकलन** होना चाहिए? यदि हां, तो इस तरह के आकलन के लिए आपकी राय में एचएचआई की सीमा क्या होनी चाहिए। विस्तृत टिप्पणियों और उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें।
- प्र13: ऐसे मामलों में जहां एक एमएसओ **निर्धारित सीमा** से अधिक नियंत्रण करता है, बाजार हिस्सेदारी/**एचएचआई** को न्यूनतम स्तर के नीचे लाने के लिए विनियमित करने के लिए कौन से उपाय/पद्धति अपनायी जानी चाहिए? ऐसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावों के लिए तैयारी के निर्दिष्ट करें। अपनी प्रतिक्रिया का पूर्ण औचित्य प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (7-13)

*शहरी समूहों और जिलों के उचित मानचित्रण के साथ ट्राई,*

and districts, TRAI can map the area of operation of M.S.O.'s/J.V.'s/LMOs. To this, the number of D.T.H. active subscribers can be found out. If this exercise is done one time and repeated every six months, there will be no need to take any adverse action on reducing market power.

- Q14. Do you think that D.T.H. services are not a **perfect substitute** of cable television services? If yes, how the relevant market of D.T.H. service providers differs with that of Multi-System Operators or other television distribution platform owners? Support your response with justification, including data/details.

### Response (14)

*D.T.H. is an alternate mode of delivery that is today equal in customer penetration to Cable T.V. Its superior customer choices has given it the capacity to even penetrate slums. Certain natural advantages of Cable in providing a multiplicity of services have been overcome by the introduction of smart boxes. With the onset of satellite broadband, the D.T.H. networks will give good competition to the cable industry and telecom service providers.*

- Q15. Is there a need to change the criterion of market share in terms of the number of active subscribers for the determination of market dominance? Should the **active subscriber** base of J.V.'s may also be considered while determining the market dominance of an M.S.O.'s. Do elaborate on the method of measurement. Provide full justification for your response.

### Response (15)

*The active subscriber base of J.V.'s needs to be added while determining market dominance. Still, the definition of market dominance in a converged era needs to be updated to 2021 technological and competition norms.*

- Q16. How the **new technological developments** and alternate services like video streaming services should be accounted for while determining market dominance? Justify your response with data/ detailed comments.

### Response (16)

*The new technological developments and video*

*एमएसओ/जेवी/एलएमओ के संचालन के क्षेत्र का मानचित्रण कर सकता है। इससे डीटीएच एक्टिव सब्सक्राइवर्स की संख्या का पता लगाया जा सकता है। यदि यह अभ्यास एक बार किया जाता है और हर छह महीने में दोहराया जाता है तो बाजार की शक्ति को कम करने पर कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।*

- प्र14: क्या आपको लगता है कि डीटीएच सेवायें केवल टेलीविजन सेवाओं का **सही विकल्प** नहीं है? यदि हां, तो डीटीएच का प्रासंगिक बाजार कैसा है। सेवा प्रदाता मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों या अन्य टेलीविजन वितरण प्लेटफॉर्म मालिकों से अलग है? डेटा/विवरण सहित औचित्य के साथ अपनी प्रतिक्रिया का समर्थन करें।

### प्रतिक्रिया (14)

*डीटीएच, डिलीवरी का एक वैकल्पिक तरीका है जो आज केवल टीवी तक ग्राहकों की पहुंच के बराबर है। सेवाओं की बहुलता प्रदान करने में केवल के कुछ प्राकृतिक लाभों को स्मार्ट बॉक्सों की शुरुआत से दूर किया गया है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की शुरुआत के साथ, डीटीएच नेटवर्क केवल उद्योग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अच्छी प्रतिस्पर्धा देगा।*

- प्र15: क्या बाजार प्रभुत्व के निर्धारण के लिए सक्रिय ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में बाजार हिस्सेदारी के मानदंड को बदलने की आवश्यकता है? क्या किसी एमएसओ के बाजार प्रभुत्व का निर्धारण करते समय संयुक्त उद्यम के **सक्रिय ग्राहक** पर भी विचार किया जा सकता है। माप की विधि के बारे में विस्तार से बतायें। अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें?

### प्रतिक्रिया (15)

*बाजार प्रभुत्व का निर्धारण करते समय जेवी के सक्रिय ग्राहक आधार को जोड़ने की जरूरत है। फिर भी, एक परिवर्तित युग में बाजार प्रभुत्व की परिभाषा को 2021 तकनीकी और प्रतिस्पर्धा के मानदंडों में अद्यतन करने की आवश्यकता है।*

- प्र16: बाजार के प्रभुत्व का निर्धारण करते समय **नये तकनीकी विकास** और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसे वैकल्पिक सेवाओं को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए? डेटा/विस्तृत टिप्पणियों के साथ अपनी प्रतिक्रिया की पुष्टि करें?

### प्रतिक्रिया (16)

*नये तकनीकी विकास और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तविकता और आगे के विकास के*

*streaming services plus move to use of artificial intelligence, virtual reality and further developments expected to take hold, in fact, obviate the need for heavy-handed market dominance studies. In any case, this is not the remit of TRAI but the Competition Commission of India.*

- Q17. If H.H.I. is used for measuring the level of competition, do you agree with the **restrictions prescribed** in TRAI's previous recommendations? If no, do provide alternative restrictions for addressing monopoly/market dominance in a relevant market. Do provide full justification for your response.

### Response (17)

*TRAI's 2013 recommendation was given in a different era when cable monopolies emerged in certain states, and the State Governments were entering into cable businesses. The current scenario is vastly different. There is no need to adopt or adapt the old recommendations entirely to the current market reality.*

- Q18. M&A in the cable T.V. sector may lead to the adoption of **monopolistic practices** by M.S.O.'s. Suggest the measures for curbing the monopolistic activities in the market. Explicitly indicate measures that should be taken for controlling any monopolistic tendency caused by a merger or acquisition. Do provide proper reasoning/justification backed with data.

### Response (18)

*It is a wholly mischievous and false assertion that merger and amalgamation in the cable T.V. sector could lead to monopolistic activities by M.S.O.'s. This view is entirely and factually incorrect. M/A in the cable industry is a natural business practice that goes through NCLT/CCI and M.I.B. approval. There is absolutely no reason to have any such apprehension.*

- Q19. The ease of doing business should not be adversely affected by measures/ regulations to check mergers and acquisitions. What compliance mechanism or regulations should be brought on Mergers and Acquisition to ensure that competition is not affected adversely while ensuring no adverse impact on **Ease of Doing Business**? Do justify your answer with complete details.

### Response (19)

*The existing standard operating practices for*

*लिए बढ़ने की उम्मीद है, वास्तव में भारी भरकम बाजार प्रभुत्व अध्ययन की आवश्यकता को कम करता है। किसी भी मामले में यह ट्राई का नहीं बल्कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है।*

- प्र17: यदि प्रतिस्पर्धा के स्तर को मापने के लिए एचएचआई का उपयोग किया जाता है तो क्या आप ट्राई की पिछली सिफारिशों में **निर्धारित प्रतिबंधों** से सहमत हैं? यदि नहीं तो प्रासंगिक बाजार में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व को संबोधित करने के लिए वैकल्पिक प्रतिबंध प्रदान करें। अपनी प्रतिक्रिया के लिए उचित औचित्य प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (17)

*ट्राई की 2013 की सिफारिश एक अलग युग में दी गयी थी, जब कुछ राज्यों में केवल एकाधिकार उभरा और राज्य सरकारें केवल व्यवसायों में प्रवेश कर रही थीं। वर्तमान परिदृश्य बहुत अलग है। पुरानी सिफारिशों को पूरी तरह से वर्तमान बाजार की वास्तविकता को अपनाने या अनुकूलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।*

- प्र18: केवल टीवी क्षेत्र में एमएंडए एमएसओ द्वारा **एकाधिकार प्रथाओं** को अपनाने के लिए नेतृत्व कर सकता है। बाजार में एकाधिकारी गतिविधियों को रोकने के उपायों का सुझाव दें। विलय या अधिग्रहण के कारण किसी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किये जाने वाले उपायों को स्पष्ट रूप से इंगित करें। डेटा के साथ उचित तर्क/औचित्य प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (18)

*यह पूरी तरह से शरारती और झूठा दावा है कि केवल टीवी क्षेत्र में विलय और समामेलन से एमएसओ की एकाधिकार गतिविधियां हो सकती हैं। यह राय पूरी तरह से और तथ्यात्मक रूप से गलत है। केवल उद्योग में एम/ए एक प्रकृतिक व्यवसाय प्रथा है जो एनसीएलटी/सीसीआई और एमआईवी अनुमोदन से गुजरती है। ऐसी किसी भी आशंका का कोई कारण नहीं है।*

- प्र19: विलय और अधिग्रहण को रोकने के उपायों/विनियमों से **व्यापार करने में आसानी** पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विलय, और अधिग्रहण पर क्या अनुपालन तंत्र या विनियम लाये जाने चाहिए। अपने उत्तर की पुष्टि पूर्ण विवरण के साथ करें।

### प्रतिक्रिया (19)

*एनसीएलटी/सीसीआई और एमआईवी के लिए मौजूदा मानक*

*NCLT/CCI and M.I.B. are sufficient. No further mechanisms are necessary. In fact, governments' policy of ease of business and the trend of questioning in the current Consultation Paper are at discordance.*

Q20. Do you agree with the definition of '**control**' as provided in the **2013** recommendations? If not, then suggest an alternative definition of 'control' with suitable reasoning/justification.

Q21. Do you think that there should be a different definition of 'control' for **different kinds** of M.S.O.'s? Do explain with proper justification.

### Response (20-21)

*The whole concept of control is outmoded and will only impede the healthy growth of the Cable Distribution sector.*

Q22. Should TRAI restrict the ambit of its recommendations only on **certain kinds** of M.S.O. Do, provide full justification for your answer.

### Response (22)

*TRAI should move away from recommending a control mechanism to light facilitative regulation. Segmenting M.S.O.'s into different kinds is entirely unnecessary. The focus should be on promoting the healthy growth of the Sector, which has been rightly treated as an essential sector in the past two years of Lockdown.*

Q23. Do you agree with the disclosure and monitoring requirements mentioned in the **2013** recommendations to effectively monitor the T.V. distribution market from the perspective of **monopoly/market dominance**? If no, provide alternative disclosure and monitoring requirements. Do provide full justification for your response.

### Response (23)

*The 2013 requirements do not require any further amplification. Though in converged era they are not required anymore.*

Q24. Elaborate on how abuse of **dominant position** and **monopoly power** in the relevant market can manifest itself in cable T.V. services. Suggest monitoring and remedial action to preserve and promote competition. Do provide full justification for your response.

### Response (24)

*There has been no case of any abuse of dominant*

*संचालन प्रथायें पर्याप्त है। कोई और तंत्र आवश्यक नहीं है। वास्तव में सरकार की व्यापार सुगमता की नीति और वर्तमान परामर्श पत्र में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में मतभेद है।*

प्र20: क्या आप **2013** की सिफारिशों में प्रदान की गयी **नियंत्रण** की परिभाषा से सहमत हैं? यदि नहीं तो उपयुक्त तर्क/औचित्य के साथ नियंत्रण की वैकल्पिक परिभाषा सुझायें।

प्र21: क्या आपको लगता है कि **विभिन्न प्रकार** के एमएसओ के लिए नियंत्रण की अलग परिभाषा होनी चाहिए? उचित औचित्य सहित व्याख्या करें।

### प्रतिक्रिया (20-21)

*नियंत्रण की पूरी अवधारणा पुरानी हो चुकी है और यह केवल वितरण क्षेत्र के स्वस्थ विकास को बाधित करेगी।*

प्र22: क्या ट्राई को अपनी सिफारिशों के दायरे को केवल कुछ **विभिन्न प्रकार** के एमएसओ पर ही सीमित करना चाहिए? अपने उत्तर के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (22)

*ट्राई को एक नियंत्रण तंत्र की सराहना करने से दूर सुविधाजनक विनियमन को प्रकाश में लाना चाहिए। एमएसओ को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करना पूरी तरह से अनावश्यक है। उस क्षेत्र के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसे पिछले दो वर्षों के लॉकडाउन में एक आवश्यक क्षेत्र के रूप में सही माना गया है।*

प्र23: क्या आप **एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व** के परिप्रेक्ष्य से टीवी वितरण बाजार की प्रभावी निगरानी के लिए **2013** की सिफारिशों में उल्लिखित प्रकटीकरण और निगरानी आवश्यकताओं से सहमत हैं? यदि नहीं तो वैकल्पिक प्रकटीकरण और निगरानी आवश्यकताओं को प्रदान करें। अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (23)

*2013 की आवश्यकताओं को किसी और प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कन्वर्जस के युग में अब उनकी आवश्यकता नहीं है।*

प्र24: प्रासंगिक बाजार में **प्रमुख स्थिति और एकाधिकार शक्ति** का दुरुपयोग इसे केवल टीवी सेवाओं में कैसे प्रकट कर सकता है, इस पर विस्तार से बतायें। प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने और बढ़ावा देने के लिए निगरानी और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव दें। अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करें।

### प्रतिक्रिया (24)

*पिछले वर्षों में प्रमुख स्थिति और तथाकथित एकाधिकार की*

position and so-called monopoly power in the past years. There is robust competition from D.T.H. Cord-cutting due to the rapid adoption of O.T.T. is hurting the cable industry. The Jip and Airtel smart boxes will take away a significant number of cable base. Facilitation and not control of the Cable Industry is the need of the hour.

Q25. Is there a need to recommend **cross-holding restrictions** amongst various D.P.O.'s/ service providers? Do give detailed justification supporting the comments.

### Response (25)

India lives in a converged era wherein cross-media restrictions do not make regulatory sense nor economic logic.

## B. ZEE-INVESCO LITIGATION- STALEMATE OR VICTORY?

- In the last column of **Media Beat**, a detailed chronology of events leading to the **Zee-Sony** merger deal and the **Zee Invesco** dispute was given. Subsequent events in the Bombay High Court have led to the **Invesco** petition in the National Company Law Tribunal asking for a change of Independent Directors and removal of Mr Punit Goenka as C.E.O. and Managing Director **being stayed** by the Bombay High Court single bench by an interim order dated **25 October 2021**. An appeal filed by **Invesco** against the single bench order has been filed and fixed for hearing on **November 29, 2021**. The **single bench judgment has not been stayed**.
- A brief chronology of events leading to the stay by the High Court starts from **Zee/Sony** announcing a proposed merger on **22 September 2021**. The release to the stock exchange stated that the Board of Directors of **Zee Entertainment** at its meeting on



शक्ति के दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। डीटीएच से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ओटीटी को तेजी से अपनाने के कारण कॉर्ड कटिंग से केवल उद्योग को नुकसान हो रहा है। जिप और एयरटेल स्मार्ट बॉक्स काफी संख्या में केवल बेस को छीन लेंगे। केवल उद्योग पर नियंत्रण नहीं बल्कि सुविधा देना समय की मांग है।

प्र25: क्या विभिन्न डीपीओ/सेवा प्रदाताओं के बीच **क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंधों** की सिफारिश करने की आवश्यकता है? टिप्पणियों का समर्थन करते हुए विस्तृत औचित्य दें।

### प्रतिक्रिया (25)

भारत एक कन्वर्जस युग में रहता है जिसमें क्रॉस मीडिया प्रतिबंध न तो नियामक समझ में आता है और न ही आर्थिक तर्क।

## बी. जी-इन्वेस्को मुकदमेबाजी - गतिरोध या जीत?

- मीडिया बीट** के अंतिम कॉलम में **जी-सोनी** विलय सौदे और **जी-इन्वेस्को** विवाद की घटनाओं का विस्तृत कालक्रम दिया गया था। बाद की घटनाओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में **इन्वेस्को** याचिका में स्वतंत्र निदेशकों को बदलने और श्री पुनीत गोयनका को सीईओ व प्रबंध निदेशक के पद से हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा **25 अक्टूबर 2021** को अंतरिम आदेश द्वारा **रोक लगा** दी गयी। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ **इन्वेस्को** द्वारा एक अपील दायर की गयी और इसे **29 नवंबर 2021** को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। **एकल पीठ के फैसले पर रोक नहीं लगायी गयी है।**
- 22 सितंबर 2021** को प्रस्तावित विलय की घोषणा करने वाले **जी/सोनी** से उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक संक्षिप्त कालक्रम शुरू होता है। स्टॉक एक्सचेंज को जारी विज्ञापित में कहा गया है कि **जी इंटरटेनमेंट** के निदेशक मंडल ने **21 सितंबर 2021** को अपनी बैठक में न केवल वित्तीय मानकों पर, बल्कि नये साझेदार **सोनी** द्वारा लाये जाने वाले रणनीतिक मूल्य विलय के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया था। बोर्ड ने

**September 21, 2021** had evaluated the merger proposal not only on financial parameters, but strategic value that the new partner **Sony** would bring. The Board had concluded that the proposed merger would be in the best interest of shareholders and stakeholders.

3. It was stated that Sony had approximately **U.S. dollar 1.7575 billion** at closing for use in pursuing other growth opportunities. Once the merger was completed with all approvals, with the infusion of capital into Sony the resultant merger ratio would be **47.07%** and the balance **52.93%** of the merged entity would be with **Sony**.
4. **Invesco** is a leading global investment firm having over **US\$ 1.5 trillion** in global investments and has been a long-time investor in **Zee**. In **2019** it increased its stakes to **18.8%** coming in as a white knight without Board rights to help the **Essel Group** pay majority of its debts to its creditors.
5. On **15 September 2021**, **Invesco** wrote to the Board of Directors of **Zee Entertainment** demanding reconstitution of the Board. It asked for dropping of two non-Independent non-executive directors namely Mr. Manish Chokhani and Mr. Ashok Kurian and the M.D. Mr. Punit Goenka. While Mr. Chokhani and Mr. Kurian did resign, Mr. Goenka continued and remains the CEO/MD.
6. After the merger with Sony was announced, **Invesco** reiterated its demand on **23 September 2021** for change of Directors and asked for appointment of its own list of Directors. It again pressed for the resignation of Mr. Punit Goenka as CEO/MD but did not recommend any new M.D. **Invesco** claimed that while it supported the proposed merger, but it wanted to strengthen corporate governance. It made four interesting averments:
  - ❖ *We continue to believe that the business is valuable, whether on its own or in strategic alignment with partners such as Sony.*
  - ❖ *Against the backdrop of requisition for an extraordinary general body meeting, the disclosure of 22 September 2021 is symptomatic of the erratic manner in which important and serious decisions are handled at the company.*
  - ❖ *Precisely to protect shareholder value in the exercise of a statutory rights as an ordinary shareholder, we have called upon the company*

निष्कर्ष निकाला था कि प्रस्तावित विलय शेयरधारकों और हितधारकों के सर्वोत्तम हित में होगा।

3. यह कहा गया था कि सोनी के पास विकास के अन्य अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए लगभग **1.7575 बिलियन अमेरिकी डॉलर** थे। एक बार विलय सभी अनुमोदनों के साथ पूरा होने के बाद, सोनी में पूंजी डालने से परिणामी विलय अनुपात **47.07%** होगा और विलय की गयी इकाई का शेप **52.93%** सोनी के पास होगा।
4. **इन्वेस्को** एक अग्रणी वैश्विक निवेशक फर्म है जिसका वैश्विक निवेश **1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक है और **जी** में लंबे समय से निवेशक रहा है। **2019** में इसने **एसेल समूह** को अपने लेनदारों को अपने अधिकांश ऋणों का भुगतान करने में मदद करने के लिए बोर्ड के अधिकारों के बिना एक श्वेत शूरवीर के रूप में अपने दांव को बढ़ाकर **18.8%** कर दिया।
5. **15 सितंबर 2021** को **इन्वेस्को** ने **जी एंटरटेनमेंट** के निदेशक मंडल को पत्र लिखकर बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की। इसने दो गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशकों श्री मनीष चोखानी और श्री अशोक कुरियन और एमडी श्री पुनीत गोयनका को हटाने के लिए कहा। जबकि श्री चोखानी और श्री कुरियन ने इस्तिफा दे दिया, श्री गोयनका अपने पद व सीईओ/एमडी पर बने रहे।
6. सोनी के साथ विलय की घोषणा के बाद, **इन्वेस्को** ने **23 सितंबर 2021** को निदेशकों के परिवर्तन के लिए अपनी मांग दोहराई और निदेशकों को अपनी सूची की नियुक्ति के लिए कहा। इसने फिर से श्री पुनीत गोयनका के सीईओ/एमडी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला, लेकिन किसी नये एमडी की सिफारिश नहीं की। **इन्वेस्को** ने दावा किया कि हालांकि इसने प्रस्तावित विलय का समर्थन किया, लेकिन यह कॉर्पोरेट शासन को मजबूत करना चाहता है। इसने चार दिलचस्प बातें कीं:
  - ❖ *हमारा मानना है कि व्यवसाय मूल्यवान है, चाहे वह स्वयं पर हो या सोनी जैसे भागीदारों के साथ रणनीतिक संरेखण में।*
  - ❖ *एक असाधारण आम सभा बैठक के लिए मांग की पृष्ठभूमि के खिलाफ 22 सितंबर 2021 का खुलासा कंपनी में महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णयों को अनिश्चित तरीके से संभालने का लक्षण है।*
  - ❖ *एक सामान्य शेयरधारक के रूप में वैधानिक अधिकारों के प्रयोग में शेयरधारक मूल्य की रक्षा करने के लिए, हमने कंपनी से एक ईजीएम आयोजित करने का आह्वान किया*

to hold an E.G.M. and it is your duty under company law to do so. At the E.G.M. shareholders of the company will decide the composition of the company's Board of Directors in a free and democratic manner towards this end, **Invesco** has proposed the removal of non-independent directors and recommended additional independent directors coming from diverse backgrounds who are expected to bring additional professionalism guidance standards of governance to the operations of the company. Together with the existing set of independent directors, the company's board will have the depth to navigate the company into the future.

7. As **Zee** failed to accept the demand of **Invesco** for an extraordinary general body meeting it filed a petition in National Company Law Tribunal under **Sections 98 and 100** of the **Companies Act 2013**.
8. The NCLT proceedings have been widely reported and the legal battle was strongly fought in the Tribunal with **Zee** even complaining to National Company Law Appellate Tribunal that NCLT was not giving it sufficient time to reply. NCLAT gave time and till date, no effective hearing has taken place in the NCLT which could enable the Tribunal to pass an order either way.
9. In the meanwhile, **Zee** filed a writ petition in the Bombay High Court on **1 October 2021**, which came up for hearing later in the month resulting in an interim order dated **October 25, 2021** staying the NCLT proceedings. The **key highlights** of the High Court order are:
  - ❖ *Zee contends that Invesco's Requisition Notice contravenes various provisions of the Companies Act, 2013; the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the SEBI Listing Regulations"); the Securities & Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("the SEBI Takeover Regulations"); various guidelines by the Ministry of Information & Broadcasting ("M.I.B."); and the Competition Act, 2002. Para 3.*
  - ❖ *It says that the resolutions proposed by Invesco in the Requisition Notice are all illegal, ultra vires and invalid. If passed, they would put Zee*

और ऐसा करना कंपनी कानून के तहत अपना कर्तव्य है। ईजीएम में कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को इस दिशा में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से तय करेंगे, **इन्वेस्को** ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों को हटाने का प्रस्ताव दिया है और विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की सिफारिश की है, जिनसे अतिरिक्त व्यावसायिकता मार्गदर्शन मानकों को लाने की उम्मीद की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों के मौजूदा सेट के साथ कंपनी के बोर्ड के पास भविष्य में कंपनी को नेविगेट करने की गहराया होगी।

7. चूंकि **जी** एक असाधारण सभा की बैठक के लिए **इन्वेस्को** की मांग को स्वीकार करने में विफल रहा, इसने **कंपनी अधिनियम 2013** की धारा **98** व **100** के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में एक याचिका दायर की।
8. एनसीएलटी की कार्यवाही को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है और कानूनी लड़ाई ट्रिब्यूनल में दृढ़ता से लड़ी गयी थी और **जी** ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल से शिकायत की थी कि एनसीएलटी उसे जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दे रहा था। एनसीएलटी ने समय दिया और आज तक एनसीएलटी में कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है जो ट्रिब्यूनल को किसी भी तरह से आदेश पारित करने में सक्षम बना सके।
9. इस बीच, **जी** ने **1 अक्टूबर 2021** को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जो इसी माह के बाद की तारीख में सुनवाई के लिए आया, जिसके परिणामस्वरूप **25 अक्टूबर 2021** को एनसीएलटी की कार्यवाही पर एक अंतरिम आदेश दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश की **मुख्य बातें** इस प्रकार हैं:
  - ❖ **जी** का तर्क है कि **इन्वेस्को** की मांग नोटिस, **कंपनी अधिनियम, 2013** के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती है, **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 (सेबी अधिग्रहण विनियम), सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश (एमआईवी) और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पैरा 3।**
  - ❖ इसमें कहा गया है कि मांग नोटिस में **इन्वेस्को** द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव सभी अवैध, अल्ट्रा वायर्स और आमन्य है। यदि पारित हो जाता है तो वे **जी** को नियंत्रित करने वाले कानूनों



*afoul of a raft of controlling statutes and regulations. Shareholders' rights, including the right to requisition an Extraordinary General Meeting ("E.G.M."), do not extend to allowing shareholders to demand acts of illegality and non-compliance with statutes. Para 3.*

- ❖ *The response from Invesco is that it is not for the Board or the company to decide whether or not a particular proposed resolution — or all the proposed resolutions — are, according to the Board or the company, illegal or valid. The general body of shareholders will decide in general meeting whether or not to pass a particular proposed resolution, or any of the proposed resolutions. The shareholders' rights to call an E.G.M. cannot be curtailed by the company or its Board. If a resolution is 'ineffective,' it will simply be 'still-born' and will not be put into effect. But that does not mean that the E.G.M. should be interdicted. Principles of corporate governance and indoor management militate against the grant of any such injunction. Para 8.*
- ❖ *Mr Subramaniam's case that Zee is caught between the Scylla of Section 100 to call an E.G.M. to consider certain resolutions and the Charybdis of those resolutions, if passed, causing Zee to be potentially non-compliant and severely damaged in its business is, in my considered view, a compelling argument. Para 10.*
- ❖ *Shareholders have no greater immunity. If the Board cannot propose resolutions that are infirm or ineffective, neither can shareholders. Para 11.*
- ❖ *I have held that this Court's jurisdiction is not ousted. It can, and must, when presented with a case like this, perhaps an outlier, consider whether the resolutions proposed would be ineffective, that is to say, not merely undesirable or sub-optimal, but ones that cannot in law be given effect to. In that scenario, a court is not forbidden, either expressly or by necessary implication, from intervening. Para 12.*
- ❖ *I am inclined to agree with Mr Subramaniam on all counts. I do not see how Mr. Goenka can be removed at all, leaving a managerial void only to be possibly later filled. His removal*

और विनियमों के लिए बड़ा धोखा होगा। शेयरधारकों के अधिकार, जिसमें एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की मांग करने का अधिकार शामिल है, का विस्तार शेयरधारकों को अवैधता कृत्यों और विधियों के गैर-अनुपालन की मांग करने की अनुमति देने तक नहीं है। पैरा 3।

- ❖ **इन्वेस्को** की प्रतिक्रिया यह है कि बोर्ड या कंपनी के लिए यह तय करना बोर्ड या कंपनी के लिए नहीं है कि कोई विशेष प्रस्तावित प्रस्ताव –या सभी प्रस्तावित प्रस्ताव बोर्ड या कंपनी के अनुसार अवैध या वैध है या नहीं। शेयरधारकों का सामान्य निकाय आम बैठक में तय करेगा कि किसी विशेष प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित किया जाये या नहीं, या प्रस्तावित प्रस्तावों में से कोई भी। ईजीएम बुलाने के शेयरधारकों के अधिकारों को कंपनी या उसके बोर्ड द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। यदि कोई संकल्प अप्रभावी है तो वह केवल जन्मजात होगा और उसे लागू नहीं किया जायेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईजीएम पर रोक लगा दी जाए। **कॉरपोरेट गवर्नेंस और इनडोर प्रबंधन के सिद्धांत ऐसे किसी भी निषेधाज्ञा के खिलाफ हैं। पैरा 8।**
- ❖ श्री सुब्रमण्यम का मामला कि कुछ प्रस्तावों पर विचार करने के लिए **जी** द्वारा ईजीएम बुलाने के लिए **धारा 100** के **स्काइला** के बीच फंस गया है और उन प्रस्तावों की **चरीबडी**, यदि पारित हो जाते हैं, जिससे **जी** संभावित रूप से गैर अनुपालन और अपने व्यवसाय में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, मेरे विचार एक सम्मोहक तर्क हैं। पैरा 10
- ❖ **शेयरधारकों को कोई अधिक प्रतिरक्षा नहीं होती है। यदि बोर्ड ऐसे प्रस्तावों का प्रस्ताव नहीं दे सकता है जो कमजोर या अप्रभावी है, तो शेयरधारक भी नहीं कर सकते हैं। पैरा 11।**
- ❖ **मैंने यह माना है कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाया नहीं गया है।** जब इस तरह के मामले को प्रस्तुत किया जाता है तो शायद एक बाहरी, यह विचार कर सकता है कि क्या प्रस्तावित प्रस्ताव अप्रभावी होंगे, यानी न केवल अवांछनीय या उप इष्टतम, बल्कि जिन्हें कानून में प्रभावी नहीं किया जा सकता है। उस परिदृश्य में अदालत को हस्तक्षेप करने से, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से मना नहीं किया जाता है। पैरा 12
- ❖ मैं सभी मामलों में श्री सुब्रमण्यम से सहमत होने के लिए ईच्छुक नहीं हूँ। मैं यह नहीं देखता कि श्री गोयनका को कैसे हटाया जा सकता है, केवल एक प्रबंधकीय शून्य को छोड़कर जिसे संभवतः वाद में भरा जा सकता है। उनका निष्कासन तत्काल रिक्ति और गैर-अनुपालन का कारण बनता है।

causes an immediate vacancy and non-compliance. How this is to be done without prior permission of the **M.I.B.** is also unclear. I see no method of circumventing the **N.R.C.** or directly proposing named persons as 'independent directors.' **Para 36.**

- ❖ *I must clarify some aspects. This is not merely a question of form or substance, or one versus the other. This is a case where the form must follow the substance. If the substance is illegal, the form is illegal. The substance of the proposed resolution will dictate its form. Para 72.*
- ❖ *I also do not suggest that shareholders' rights are curtailed or abrogated, or that they cannot seek what they now do. But the manner in which they go about doing it must be legally compliant. Para 73.*
- ❖ *Mr Dwarkadas says this Court has no jurisdiction. Section 430 of the Companies Act bars any civil court from entertaining any suit or proceeding in respect of any matter which the NCLT or the NCLAT is empowered to determine. But the NCLT Rules that set out the list of provisions over which the NCLT/NCLAT have jurisdiction does not include Sections 100, 149, 150 or 168. Para 75.*
- ❖ *Mr Dwarkadas argues that no injunction can issue against the NCLT, which is already seized of Invesco's petition under Section 98. I am not asked to issue any such injunction against a court. The injunction is against Invesco. Indeed, in any anti-suit injunction proceeding, the frame is precisely against the party prosecuting a rival action in another forum, not the forum itself (unless the other forum is hierarchically subordinate). Para 76.*
- ❖ *In view of this discussion, there will be an injunction in terms of prayer clause (a) of the Interim Application, restraining Defendants Nos. 1 and 2 (including their employees, agents and anyone acting by, through or under them) from taking any action or step in furtherance of the Requisition Notice dated 11 September 2021, including calling, and holding an E.G.M. under Section 100(4) of the Companies Act, 2013.*

**एमआईबी** की पूर्व अनुमति के बिना यह कैसे किया जायेगा, यह स्पष्ट नहीं है। मुझे **एनआरसी** को दरकिनार करने या सीधे तौर पर नामित व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में प्रस्तावित करने का कोई तरीका नहीं दिखता है। **पैरा 36**

- ❖ मुझे कुछ पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए। यह केवल रूप या पदार्थ, या एक बनाम दूसरे का सवाल नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां प्रपत्र को फार्म का पालन करना चाहिए। **यदि पदार्थ अवैध है तो फार्म भी अवैध है।** प्रस्तावित संकल्प का सार इसके स्वरूप को निर्धारित करेगा। **पैरा 72**
- ❖ मैं यह भी सुझाव नहीं देता कि शेयरधारकों के अधिकारों को कम या समाप्त कर दिया गया है, या वे यह मांग नहीं कर सकते कि वे अब क्या करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वे इसे करने जा रहे हैं वह कानूनी रूप से अनुपालन करने वाला होना चाहिए। **पैरा 73।**
- ❖ श्री द्वारकादास कहते हैं कि इस न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कंपनी अधिनियम की **धारा 430** किसी भी दीवानी अदालत को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमें या कार्यवाही पर विचार करने से रोकती है, जिसे निर्धारित करने के लिए एनसीएलटी या एनसीएलएटी का अधिकार है। लेकिन एनसीएलटी नियम जो उन प्रावधानों की सूची निर्धारित करते हैं जिन पर एनसीएलटी/एनसीएलएटी के अधिकार क्षेत्र में **धारा 100, 149, 150** या **168** शामिल नहीं है। **पैरा 75।**
- ❖ श्री द्वारकादास का तर्क है कि एनसीएलटी के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है जो पहले से ही **धारा 98** के तहत इन्वेस्को की याचिका पर कब्जा कर लिया गया है। निषेधाज्ञा इन्वेस्को के खिलाफ है। वास्तव में, किसी भी वाद-विरोधी निषेधाज्ञा कार्यवाही में, फ्रेम ठीक उसी पक्ष के विरोध होता है, जो किसी अन्य फोरम में प्रतिद्वंद्वी कार्रवाई पर मुकदमा चला रहा है, न कि स्वयं फोरम (जब तक कि अन्य फोरम श्रेणीबद्ध रूप से अधिनस्थ न हो) **पैरा 76।**
- ❖ इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आवेदन के प्रार्थना खंड (ए) के संदर्भ में एक निषेधाज्ञा होगी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (उनके कर्मचारियों, एजेंटों, और उनके द्वारा, उनके माध्यम से या उनके अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति सहित) को किसी भी कॉल करने और ईजीएम आयोजित करने सहित **11 सितंबर 2021** की मांग नोटिस को आगे बढ़ाने की कार्रवाई या कदम कंपनी अधिनियम **2013** की **उद्धार 100 (4)** के तहत।

## COMMENTS

*The Bombay High Court order has been promptly challenged by Invesco in the Division Bench which briefly heard the appeal on October 29, 2021 but postponed effective hearing to 29 November 2021. While Zee's spokesman claimed that the decision taken by the Hon'ble Bombay High Court is a "huge win" for all the stakeholders of the Company," in the careful considered opinion of this writer, this is incorrect.*

*For one this is an interim order.*

*Secondly it has been challenged in the Division Bench and will be heard towards end of November.*

*Most importantly issues of shareholder rights versus powers of the Board are issues that can affect the very edifice of corporate democracy and will ultimately land up in Supreme Court for final determination. May companies will be looking to outcome of this battle.*

*Meanwhile media reports state that the Zee Sony merger will be fast forwarded to reach to a definitive conclusion. The view of Sony on the Zee- Invesco dispute is unknown, but Zee has kept the media war on by accusing Invesco of acting on the behalf of "another suitor." Not amused, Reliance has regretted being dragged into the messy situation.*

*So, the Zee Invesco war is now at stalemate. The interim order is certainly no victory for the shareholders nor for Zee and ultimately an E.G.M. will have to be held. The outcome, if the merger goes through before the EGM will be very different than what Invesco planned.*

## टिप्पणियां

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को इन्वेस्को द्वारा डिवीजन बेंच में तुरंत चुनौती दी गयी, जिसपर 29 अक्टूबर 2021 को संक्षिप्त सुनवाई की गयी, लेकिन प्रभावी सुनवाई को 29 नवंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, जबकि जी के प्रवक्ता ने दावा किया कि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय कंपनी के सभी हितधारकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, जबकि इस लेखक की सावधानी से विचार की गयी राय में यह गलत है।

किसी के लिए यह अंतरिम आदेश है।

दूसरे इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी गयी है और नवंबर के अंत में सुनवाई की जायेगी। शेयरधारक अधिकार बनाम बोर्ड की शक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो कॉर्पोरेट लोकतंत्र की इमारत को प्रभावित कर सकते हैं और अंततः अंतिम निर्धारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचेंगे। कंपनियां इस लड़ाई के नतीजे की ओर देख रही हैं।

इसी बीच मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जी सोनी के विलय को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ाया जायेगा। जी-इन्वेस्को विवाद पर सोनी का दृष्टिकोण अज्ञात है, लेकिन जी ने इन्वेस्को पर 'एक और प्रेमी' की ओर से अभिनय करने का आरोप लगाकर मीडिया युद्ध को जारी रखा है। यह खुशी की बात नहीं है। रिलायंस को इस गंदी स्थिति में घसीटे जाने का पछतावा है।

इसलिए, जी इन्वेस्को युद्ध अब गतिरोध में है। अंतरिम आदेश निश्चित रूप से न तो शेयरधारकों की जीत है और न ही जी की और अंत में ईजीएम को आयोजित करना होगा। परिणाम, यदि ईजीएम से पहले विलय होता है तो इन्वेस्को की योजना से बहुत अलग होगा।

**INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY**



**MAGAZINE**

- ❖ In-depth & Unbiased Market Information
- ❖ Technology Breakthroughs
- ❖ Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

**... You Know What You are doing  
But Nobody Else Does**

**ADVERTISE NOW !**

**Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com**

### C. PEGASUS ORDER - VICTORY FOR FREEDOM OF EXPRESSION?

1. The Supreme Court in a significant order of **Manoharlal Sharma vs Union of India in Criminal Writ Petition 314/2021** dated **27 October 2021**, has once again upheld the freedom of expression to citizens and media guaranteed under **Article 19 (1) (a)** subject to *reasonable restrictions* under **Article 19 (2)**.
2. The batch of petitions arose out of media investigations that many prominent Indians including politicians, media, activists and even bureaucrats may have been spied on by using the infamous **Pegasus Israeli malware/spyware**. As per the Israeli Government this *malware/spyware* is only sold to Governments and not private bodies. Pegasus is a military grade spyware/malware developed in **2016** which can "*collect all communication including encrypted information and location information from the device. The malware can then monitor the activities of the device holder through a "zero click" and collect the phone's data in remote fashion.*"
3. It is stated that a Paris based N.G.O. **Forbidden Stories** conducted a collaborative investigation with **80** journalists from **17** news organisations in 10 countries including India. **Amnesty International** subjected the devices of many targeted individuals to forensic analysis and which was then peer reviewed by University of Toronto **Citizen Lab**.
4. The **Wire** website in India was part of the investigation, and it is claimed that over 1000 Indian phone numbers were on potential surveillance. 300 have been identified and **Amnesty** subjected **22** for forensic analysis of which ten were confirmed and **12** were inconclusive.
5. Keeping in mind the grave threat to freedom of expression, a series of writ petitions were filed in the Supreme Court asking for a court supervised independent investigation into the veracity of the



### सी. पेगासस आदेश-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत?

1. सुप्रीम कोर्ट ने **मनोहरलाल शर्मा बनाम भारत संघ** के एक महत्वपूर्ण आदेश में **आपराधिक रिट याचिका 314/2021** दिनांक **27 अक्टूबर 2021** को एक बार फिर से **अनुच्छेद 19 (1) (ए)** के तहत गारंटीकृत नागरिकों और मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। **अनुच्छेद 19 (1)** के तहत **अनुच्छेद 19 (2)** के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन नागरिकों और मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एकबार फिर से बरकरार रखा है।
2. याचिकाओं का एक समूह मीडिया जांच से सामने आया कि कुख्यात पेगासस इजरायली मैलवेयर/स्पाइवेयर का उपयोग करके राजनेताओं, मीडिया, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि नौकरशाहों सहित कई प्रमुख भारतीयों की जासूसी की जा सकती है। इजरायली सरकार के अनुसार यह मैलवेयर/स्पाइवेयर केवल सरकारों को बेचा जाता है, निजी निकायों को नहीं। **पेगासस 2016** में विकसित एक सैन्य ग्रेड स्पाइवेयर/मैलवेयर है जो डिवाइस से एन्क्रिप्टेड जानकारी और स्थान की जानकारी सहित सभी संचार एकत्र कर सकता है। मैलवेयर तब 'शून्य क्लिक' के माध्यम से डिवाइस धारक की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है और काफी दूर रखे फोन की सहायता से जानकारी प्राप्त करता है।
3. यह कहा गया है कि पेरिस स्थित एक गैर सरकारी संगठन **फॉरबिडन स्टोरीज** ने भारत सहित **10** देशों के **17** समाचार संगठनों के **80** पत्रकारों के साथ एक सहयोगात्मक जांच की। **एम्नेस्टी इंटरनेशनल** ने कई लक्षित व्यक्तियों के उपकरणों को फॉरेंसिक विश्लेषण के अधीन किया और फिर टोरंटो **सिटीजन लैब** विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सावधानी से समीक्षा की गयी।
4. भारत में **द वायर** वेबसाइट जांच का हिस्सा थी और यह दावा किया जाता है कि **1000** से अधिक भारतीय फोन नंबर संभावित निगरानी में थे। **300** की पहचान की गयी है और **एम्नेस्टी** ने **22** को फॉरेंसिक विश्लेषण के अधीन किया है, जिनमें से **10** की पुष्टि की गयी और **12** अनिर्णायक थे।
5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट में कई रिट याचिकायें दायर की गयीं, जिसमें अदालत की निगरानी में आरोपों की सत्यता की स्वतंत्र जांच की

charges. These included Mr. N. Ram of **Hindu** and Mr. Sashi Kumar of **Asian College of Journalism**. They claimed if such a hack did take place it would be violative of their right to privacy upheld by Supreme Court in the **K.S. Puttuswamy of India 2017** judgment. They claimed:

- ❖ *The Pegasus hack is a direct attack on communicational, intellectual, and informational privacy, and critically endangers the meaningful exercise of privacy in these contexts. The right to privacy extends to use and control over one's mobile phone/electronic device and any interception by means of hacking/tapping is an infraction of Article 21. Further, the use of the Pegasus spyware to conduct surveillance represents a grossly disproportionate invasion of the right to privacy."*
  - ❖ *"It has an obvious chilling effect on expression by threatening invasion into the most core and private aspects of a person's life. The specific targeting of scores of journalists is an attack on the freedom of the press, and seriously abridges the right to know, which is an essential component of the right to free speech and expression."*
  - ❖ *Surveillance is justified only in cases of public emergency or in the interests of public safety, and the existence of such conditions must be inferred reasonably and cannot be determined solely on the assessment of the Government. Neither of these mandatory conditions have been met in the present case, rendering the surveillance wholly illegal."*
  - ❖ *The attack prima facie constitutes an act of cyber-terrorism that has several grave political and security ramifications, especially considering that the devices of Government Ministers, senior political figures and constitutional functionaries which may contain sensitive information have been targeted.*
6. **The Editors Guild** also filed a writ petition seeking an enquiry stating:
- ❖ *"Freedom of the press relies on non-interference by the government and its agencies in reporting of journalists, including their ability to securely and confidentially speaking with sources,*

मांग की गयी थी। इसमें **हिंदू** के श्री एन.श्रीराम और **एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म** के श्री शशि कुमार शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि अगर इस तरह की हैक होती है तो यह भारत के **एस पुट्टुस्वामी 2017** के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गये उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उन्होंने दावा किया कि:

- ❖ पेगासस हैक संचार, वौद्धिक और सूचनात्मक गोपनीयता पर सीधा हमला है और इन संदर्भों में गोपनीयता के सार्थक प्रयोग को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। निजता का अधिकार किसी के मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग और नियंत्रण तक फैला हुआ है और हैकिंग/टैपिंग के माध्यम से किसी भी अवरोध को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके अलावा निगरानी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग निजता के अधिकार का घोर असंगत आक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है।'
  - ❖ किसी व्यक्ति के जीवन के सबसे मूल और निजी पहलुओं में आक्रमण की धमकी देकर अभिव्यक्ति पर इसका जवरदस्त प्रभाव पड़ता है। अनेक पत्रकारों को विशेष रूप से निशाना बनाना प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और यह जानने के अधिकार को गंभीर रूप से कम करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।'
  - ❖ निगरानी केवल सार्वजनिक आपतकाल के मामलों में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में उचित है और ऐसी स्थितियों के आस्तित्व का यथोचित अनुमान लगाया जाना चाहिए और केवल सरकार के आकलन पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी अनिवार्य शर्त पूरी नहीं की गयी है, जिससे निगरानी पूरी तरह से अवैध हो गयी है।'
  - ❖ हमला प्रथम दृष्टया साइबर आतंकवाद का एक कार्य है, जिसके कई गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा प्रभाव हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि सरकारी मंत्रियों, वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों और सैवधानिक पदाधिकारियों के उपकरणों को लक्षित किया गया है जिनमें संवेदनशील जानकारी हो सकती है।
6. **एडिटर्स गिल्ड** ने भी एक रिट याचिका दायर कर जांच की मांग करते हुए कहा कि:
- ❖ प्रेस की स्वतंत्रता सरकार और उसकी **एजेंसियों द्वारा पत्रकारों की रिपोर्टिंग में गैर हस्तक्षेप पर निर्भर करती है**, जिसमें स्रोतों के साथ सुरक्षित और गोपनीय रूप से बोलने, सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच करने,

*investigate abuse of power and corruption, expose governmental incompetence, and speak with those in opposition to the government."*

7. Speaking to **Frontline** (a Hindu Group publication) an independent journalist Paranjoy Guha Thakurta was quoted as saying "*George Orwell's 1984 is here and now; we live in a surveillance state. The way I perceive it, it is not just an infringement on my fundamental right of privacy, but it is also an attempt to stifle my freedom of expression. I have been a journalist for 44 years. The names of my anonymous sources can also be disclosed. It has a chilling effect on investigative journalism and the right to free speech. At the end of the day, it is dangerous for the future of democracy.*"
8. When the hearings began in the Supreme Court in **August 2021**, the Supreme Court at first appeared disinclined to pass any orders on the multiple petitions. It asked the Petitioners why First Information Reports were not filed. It however observed that if the reports were true then the allegations were serious, and truth would have to be brought out. It also stated allegations were circulating from **2019** and why had the petitions been filed late. Counsels for Petitioners explained there were no provisions to file F.I.R.'s in such cases under **Information Technology Act**. It was further explained that earlier names of affected individuals was not known but now with forensic investigations, the matters were becoming clearer. Hence the petitions had been filed in 2021.
9. Government's stand on the entire controversy has come in for adverse comment by the Supreme Court in its **Order dated October 27, 2021**. Some key excerpts of the Order reveal the mind of the Supreme Court:
  - ❖ *If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself." George Orwell, 1984*
  - ❖ *The present batch of Writ Petitions raise an Orwellian concern, about the alleged possibility of utilising modern technology to hear what you hear, see what you see and to know what you do. In this context, this Court is called upon to examine an allegation of the use of such a technology, its utility, need and alleged abuse. We make it clear that our effort is to uphold the constitutional aspirations and rule of law, without allowing ourselves to be consumed in the political rhetoric. This Court has always*

सरकारी अक्षमता का पर्दाफाश करने और सरकार के लिए विरोधियों के साथ बात करने की उनकी क्षमता शामिल है।

7. **फ्रंटलाइन** (एक हिंदू समूह प्रकाशन) से बात करते हुए एक स्वतंत्र पत्रकार परंजोय गुहा ठाकुरता को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि '**जॉर्ज ऑरवेल का 1984** यहां और अभी है, हम एक निगरानी स्थिति में रहते हैं। जिस तरह से मैं समझता हूं यह न केवल मेरे निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हनन करने का एक प्रयास है। मैं **44 साल** से पत्रकार हूं। मेरे अज्ञात स्रोतों के नामों का भी खुलासा किया जा सकता है। इसका खोजी पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंत में, यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक है।
8. जब **अगस्त 2021** में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कई याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गयी। हालांकि यह देखा गया है कि यदि रिपोर्ट सच थी तो आरोप गंभीर थे, और सच्चाई को सामने लाना होगा। इसने यह भी कहा कि आरोप **2019** से चल रहे थे और याचिकायें देर से क्यों दायर की गयी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** के तहत ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे बताया गया है कि पहले प्रभावित व्यक्तियों के नाम ज्ञात नहीं थे लेकिन अब फॉरेंसिक जांच से मामला स्पष्ट हो रहा था। इसलिए याचिकायें **2021** में दायर की गयी थीं।
9. पूरे विवाद पर सरकार का रुख सुप्रीम कोर्ट द्वारा **27 अक्टूबर 2021** के अपने **आदेश** में प्रतिकूल टिप्पणी के लिए आया है। आदेश के कुछ प्रमुख अंश सुप्रीम कोर्ट के दिमाग को उजागर करते हैं:
  - ❖ *यदि आप एक रहस्य रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा।' जॉर्ज ऑरवेल 1984*
  - ❖ *रिट याचिकाओं का वर्तमान बैच, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं उसे देखने और आप क्या करते हैं, यह जानने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने की कथित संभावना के बारे में एक ओरवेलियन चिंता उठाते हैं। इस संदर्भ में इस न्यायालय को ऐसी तकनीकी के उपयोग, इसकी उपयोगिता, आवश्यकता और कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के लिए कहा जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक बयानवाजी में खुद को भ्रम करने की अनुमति के*

*been conscious of not entering the political thicket. However, at the same time, it has never cowered from protecting all from the abuses of fundamental rights. Para 1*

- ❖ *The Pegasus suite of spywares can allegedly be used to compromise the digital devices of an individual through zero click vulnerabilities, i.e., without requiring any action on the part of the target of the software. Once the software infiltrates an individual's device, it allegedly has the capacity to access the entire stored data on the device, and has real time access to emails, texts, phone calls, as well as the camera and sound recording capabilities of the device. Once the device is infiltrated using Pegasus, the entire control over the device is allegedly handed over to the Pegasus user who can then remotely control all the functionalities of the device and switch different features on or off. The N.S.O. Group purportedly sells this extremely powerful software only to certain undisclosed Governments and the end user of its products are "exclusively government intelligence and law enforcement agencies" as per its own website. Para 3*
- ❖ *On 16 August 2021, a "limited affidavit" was placed on record by the learned Solicitor General that was filed by the Additional Secretary, Ministry of Electronics, and Information Technology, Union of India. The relevant parts of the limited affidavit filed by the Respondent Union of India are as follows:*
  - ◆ *At the outset, it is submitted that I hereby unequivocally deny any and all of the allegations made against the Respondents in the captioned petition and other connected petitions. A bare perusal of the captioned petition and other connected petitions makes it clear that the same are based on conjectures and surmises or on other unsubstantiated media reports or incomplete or uncorroborated material. It is submitted that the same cannot be the basis for invoking the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.*
  - ◆ *It is submitted that this question stands already clarified on the floor of the*

विना हमारा प्रयास सैवधानिक आकांक्षाओं और कानून के शासन को बनाये रखने का है। यह अदालत हमेशा राजनीतिक घेरे में न आने के प्रति सचेत है। **हालांकि, साथ ही, यह सभी को मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से भी कभी नहीं हिचकिचाती है। पैरा 1**

- ❖ **स्याइवेयर के पेगासस सूट के कथित तौर पर किसी व्यक्ति के डिजिटल उपकरणों को शून्य क्लिक कमजोरियों के माध्यम से समझौता करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यानी सॉफ्टवेयर के लक्ष्य की ओर से किसी कार्रवाई के आवश्यकता के बिना। एक बार जब सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति के उपकरण में घुसपैठ कर लेता है तो यह कथित तौर पर उपकरण पर पूरे संग्रहीत डेटा तक पहुंचने की क्षमता रखता है और ईमेल, टेक्स्ट, फोन कॉल के साथ-साथ उपकरण की कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग क्षमताओं तक वास्तविक समय तक पहुंच रखता है। एकबार जब पेगासस का उपयोग करके उपकरण में घुसपैठ कर ली जाती है तो उपकरण पर पूरा नियंत्रण कथित तौर पर पेगासस उपयोगकर्ता को सौंप दिया जाता है, जो तब उपकरण की सभी कार्यात्मकताओं को दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकता है और विभिन्न सुविधाओं को चालू या बंद कर सकता है। एनएसओ ग्रुप कथित तौर पर इस अत्यंत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर को केवल कुछ अज्ञात सरकारों को बेचता है और इसके उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ता अपनी वेबसाइट के अनुसार विशेष रूप से सरकारी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं। पैरा 3**
- ❖ **16 अगस्त 2021** को विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा एक 'सीमित हलफनामा' रिकॉर्ड पर रखा गया था जिसे अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार द्वारा दायर किया गया था। भारत के प्रतिवादी संघ द्वारा दायर सीमित हलफनामे के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:
  - ◆ सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैं एतदुवारा उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं में प्रतिवादियों के खिलाफ लगाये गये किसी भी और सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इंकार करता हूं। उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं का केवल अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अनुमानों या अन्य अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह इस माननीय न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।

Parliament by the **Hon'ble Minister of Railways, Communications and Electronics & Information Technology of India, Government of India**. A copy of the statement of the Hon'ble Minister is attached herewith and marked as **Annexure RI**. In that view of the matter, in the respectful submission of the deponent, nothing further needs to be done at the behest of the Petitioner, more particularly when they have not made out any case.

- ◆ **It is, however, submitted that with a view to dispel any wrong narrative spread by certain vested interests and with an object of examining the issue raised, the Union of India will constitute a Committee of Experts in the field which will go into all aspects of the issue." Para 12**
- ❖ *It is in this context that we must contextualise the issues that are being raised in this batch of petitions. We live in the era of information revolution, where the entire lives of individuals are stored in the cloud or in a digital dossier. We must recognise that while technology is a useful tool for improving the lives of the people, at the same time, it can also be used to breach that sacred private space of an individual. Para 31*
- ❖ *Members of a civilised democratic society have a reasonable expectation of privacy. Privacy is not the singular concern of journalists or social activists. Every citizen of India ought to be protected against violations of privacy. It is this expectation which enables us to exercise our choices, liberties, and freedom. This Court in **K.S. Puttaswamy (Privacy J.) v. Union of India, (2017) 10 S.C.C. 1**, has recognised that the right to privacy is as sacrosanct as human existence and is inalienable to human dignity and autonomy. Para 32.*
- ❖ *It is undeniable that surveillance and the knowledge that one is under the threat of being spied on can affect the way an individual decides to exercise his or her rights. Such a scenario might result in self-censorship. This is of particular concern when it relates to the freedom of the press, which is important pillar of democracy. Such chilling effect on the freedom*
- ◆ यह निवेदन किया जाता है कि भारत सरकार के **माननीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**, भारत सरकार द्वारा संसद के पटल पर इस प्रश्न को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुबंध **एनेक्चर आरआई** के रूप में चिह्नित है। इस मामले में, अभिसाक्षी के सम्मानपूर्वक प्रस्तुतिकरण में, याचिकाकर्ता के आदेश पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब उन्होंने कोई मामला बनाया नहीं है।
- ◆ **तथापि, यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा फैलाये गये किसी भी गलत आख्यान को दूर करने और उठाये गये मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से, भारत संघ क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा जो इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। पैरा 12**
- ❖ इसी संदर्भ में हमें याचिकाओं के इस बैच में उठाये जा रहे मुद्दों का संदर्भ देना चाहिए। हम सूचना क्रांति युग में रहते हैं, जहां व्यक्तियों का पूरा जीवन क्लाउड में या डिजिटल डोजियर में संग्रहित होता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जहां तकनीकी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, वहीं इसका उपयोग किसी व्यक्ति के उस पवित्र निजी स्थान को भंग करने के लिए भी किया जा सकता है। **पैरा 31**।
- ❖ सभ्य लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को गोपनीयता की उचित अपेक्षा होती है। गोपनीयता पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की एकमात्र चिंता नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लंघन से बचना चाहिए। यह अपेक्षा ही है जो हमें अपनी पसंद स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। यह न्यायालय **केएस पुट्टस्वामी (गोपनीयता जे) बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1** ने माना है कि निजता का अधिकार मानव आस्तित्व की तरह पवित्र है और मानवीय गरीमा और स्वायत्तता के लिए अक्षम्य है। **पैरा 32**।
- ❖ इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि निगरानी और यह जानकारी कि किसी पर जासूसी किये जाने का खतरा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के परिदृश्य के परिणामस्वरूप आत्म-सेंसरशिप हो सकती है। यह विशेष रूप से चिंता का विषय है जब यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अभिव्यक्ति की



of speech is an assault on the vital public watchdog role of the press, which may undermine the ability of the press to provide accurate and reliable information. Recently, in the case of *Anuradha Bhasin v. Union of India*, (2020) 3 SCC 637, this Court highlighted the importance of freedom of the press in a modern democracy in the following words:

- ◆ "159. In this context, one possible test of chilling effect is comparative harm. In this framework, the Court is required to see whether the impugned restrictions, due to their broad-based nature, have had a restrictive effect on similarly placed individuals during the period. It is the contention of the petitioner that she was not able to publish her newspaper from 682019 to 11102019. However, no evidence was put forth to establish that such other individuals were also restricted in publishing newspapers in the area. Without such evidence having been placed on record, it would be impossible to distinguish a legitimate claim of chilling effect from a mere emotive argument for a self-serving purpose. On the other hand, the learned Solicitor General has submitted that there were other newspapers which were running during the aforesaid time period. In view of these facts and considering that the aforesaid petitioner has now resumed publication, we do not deem it fit to indulge more in the issue than to state that responsible Governments are required to respect the freedom of the press at all times. **Journalists are to be accommodated in reporting and there is no justification for allowing a sword of Damocles to hang over the press indefinitely.**" (emphasis supplied) Para 39.
- ❖ An important and necessary corollary of such a right is to ensure the protection of sources of information. Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for the freedom of the press. Without such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the public on matters of public interest. **Para 40.**
- ❖ Having regard to the importance of the

स्वतंत्रता पर इस तरह के महत्वपूर्ण प्रभाव प्रेस की महत्वपूर्ण सार्वजनिक निगरानी भूमिका पर हमला है, जो सटिक व विश्वनीय जानकारी प्रदान करने के प्रेस की क्षमता को कमजोर कर सकता है। हाल ही में, **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) 3 एससीसी 637** के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला:

- ◆ **159**। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव का एक संभावित परीक्षण तुलनात्मक नुकसान है। **इस द्वांचे में, न्यायालय को यह देखना है कि क्या उनके व्यापक-आधारित प्रकृति के कारण, इस अवधि के दौरान समान रूप से रखे गये व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ा है।** याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वह **682019** से **11102019** तक अपना समाचारपत्र प्रकाशित करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी क्षेत्र में समाचारपत्र प्रकाशित करने में प्रतिबंधित किया गया था। इस तरह के सबूतों को रिकॉर्ड में रखे बिना, महत्वपूर्ण प्रभाव के एक वैध दावे को एक आत्म-सेवा उद्देश्य के लिए मात्र भावनात्मक तर्क से अलग करना असंभव होगा। दूसरी ओर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अन्य समाचार पत्र भी थे जो उक्त समयावधि के दौरान चल रहे थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि उपरोक्त याचिकाकर्ता ने अब प्रकाशन फिर से शुरू कर दिया है, हम इस मुद्दे में अधिक शामिल होना उचित नहीं समझते हैं, यह कहने के लिए कि जिम्मेदार सरकारों को हर समय प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने की आवश्यकता है। **पत्रकारों को रिपोर्टिंग में समायोजित किया जाना है और प्रेस पर अनिश्चित काल तक डैमोकल्स की तलवार लटकने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है (जोर दिया गया) पैरा 39।**
- ❖ इस तरह के अधिकार का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक परिणाम सूचना के स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पत्रकारिता के स्रोतों का संरक्षण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है। इस तरह के संरक्षण के बिना, स्रोतों को जनहित के मामलों पर जनता को सूचित करने में प्रेस की सहायता करने से रोका जा सकता है। **पैरा 40।**
- ❖ एक लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता के स्रोतों के संरक्षण के महत्व और जासूसी

*protection of journalistic sources for press freedom in a democratic society and the potential chilling effect that snooping techniques may have, this Court's task in the present matter, where certain grave allegations of infringement of the rights of the citizens of the country have been raised, assumes great significance. In this light, this Court is compelled to take up the cause to determine the truth and get to the bottom of the allegations made herein. Para 41*

- ❖ *That said, after we indicated our reservations to the Petitioners regarding the lack of material, various other petitions have been filed in Court, including by individuals who were purportedly victims of the alleged Pegasus spyware attack. These subsequently filed petitions, as well as additional documents filed by others, have brought on record certain materials that cannot be brushed aside, such as the reports of reputed organisations like **Citizen Lab** and affidavits of experts. Additionally, the sheer volume of cross referenced and cross verified reports from various reputable news organisations across the world along with the reactions of foreign governments and legal institutions also moved us to consider that this is a case where the jurisdiction of the Court may be exercised. Of course, the learned Solicitor General suggested that many of these reports are motivated and self-serving. However, such an omnibus oral allegation is not sufficient to desist from interference. Para 44.*
- ❖ *Such a course of action taken by the Respondent Union Of India, especially in proceedings of the present nature that touches upon the fundamental rights of the citizens of the country, cannot be accepted. As held by this Court in **Ram Jethmalani v. Union of India, (2011) 8 S.C.C. 1**, the Respondent Union of India should not take an adversarial position when the fundamental rights of citizens are at threat. Para 46.*
- ❖ *This free flow of information from the Petitioners and the State, in a writ proceeding before the Court, is an important step towards Governmental transparency and openness, which are celebrated values under our Constitution, as recognised by*

तकनीकों के संभावित महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में, इस न्यायालय का कार्य, जहां देश के नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के कुछ गंभीर आरोप लगाये गये हैं, बहुत महत्व रखता है। इस आलोक में यह न्यायालय सच्चाई का पता लगाने और यहां लगाये गये आरोपों के तह तक जाने के लिए मजबूर है। पैरा 41

- ❖ उसने कहा, जब हमने सामग्री की कमी के संबंध में याचिकाकर्ताओं को अपनी आपत्ति का संकेत दिया, तो अदालत में कई याचिकायें दायर की गयी हैं, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो कथित रूप से **पेगासस** स्पाइवेयर हमले के शिकार थे। वाद में दायर की गयी इन याचिकाओं के साथ-साथ दूसरों द्वारा दायर किये गये अतिरिक्त दस्तावेजों ने कुछ ऐसी सामग्री को रिकार्ड में लाया जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि **सिटीजन लैब** जैसे प्रतिष्ठित संगठनों की रिपोर्ट और विशेषज्ञों के ग्लफनामे। इसके अतिरिक्त विदेशी सरकारों और कानूनी संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ दुनियाभर के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार संगठनों से क्रॉस-रेफ़ेंस और क्रॉस सत्यापित रिपोर्टों की भारी मात्रा ने भी हमें यह विचार करने के लिए प्रेरित किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। **वेशक, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि इनमें से कई रिपोर्ट प्रेरित और स्वयं सेवक है। हालांकि इस तरह का सर्वव्यापी मौखिक आरोप हस्तक्षेप से बचने के लिए पर्याप्त है। पैरा 44।**
- ❖ प्रतिवादी भारत सरकार द्वारा की गयी इस तरह की कार्यवाही, विशेष रूप से वर्तमान प्रकृति की कार्यवाही में, जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छूती है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसाकि **राम जेठमलानी बनाम भारत संघ, (2011) 8 एससीसी 1**, में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, भारत के प्रतिवादी संघ को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खतरे में होने पर प्रतिकूल स्थिति नहीं लेनी चाहिए। पैरा 46।
- ❖ याचिकाकर्ताओं और राज्य में सूचना का यह मुक्त प्रवाह, न्यायालय के समक्ष एक रिट कार्यवाही में सरकारी पारदर्शिता और खुलेपन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे संविधान के तहत मनाये गये मूल्य हैं, जैसाकि इस न्यायालय

this Court recently in the **Anuradha Bhasin (supra)** judgment. Para 47.

- ❖ *It is on the strength of the above exception carved out that the Respondent Union of India has justified its non-submission of a detailed counter affidavit, viz., by citing security concerns. It is a settled position of law that in matters pertaining to national security, the scope of judicial review is limited. However, this does not mean that the State gets a free pass every time the spectre of "national security" is raised. National security cannot be the bugbear that the judiciary shies away from by virtue of its mere mentioning. Although this Court should be circumspect in encroaching upon the domain of national security, no omnibus prohibition can be called for against judicial review. Para 49.*
- ❖ *In the present matter, as we have indicated above, the Petitioners have placed on record certain material that **prima facie** merits consideration by this Court. There has been no specific denial of any of the facts averred by the Petitioners by the Respondent Union of India. There has only been an omnibus and vague denial in the "limited affidavit" filed by the Respondent Union of India, which cannot be sufficient. **In such circumstances, we have no option but to accept the prima facie case made out by the Petitioners to examine the allegations made. Para 51.***
- ❖ *Different forms of surveillance and data gathering by intelligence agencies to fight terrorism, crime, and corruption in the national interest and/or for national security are accepted norms worldwide. The Petitioners do not contend that the State should not resort to surveillance/collection of data in national security matters. The complaint of the Petitioners is about the misuse or likely misuse of spyware in violation of the right to privacy of citizens. The Respondent Union of India also does not contend that its agencies can resort to surveillance/collection of data relating to its citizens where national security and national interest are not involved. The Respondent Union of India's apprehension is that any inquiry on this behalf should not jeopardise national security and its steps to protect national security.*

द्वारा हालही में **अनुराधा भसीन (सुप्रा)** के फैसले में मान्यता दी है। पैरा 47।

- ❖ ऊपर दिये गये अपवाद के आधार पर ही भारतीय प्रतिवादी संघ ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा प्रस्तुत न करने को उचित ठहराया है। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का भूत उठने पर राज्य को एक मुफ्त पास मिल जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा वह बगिया नहीं हो सकती है जिसे न्यायपालिका अपने मात्र उल्लेख के आधार पर दूर करती है। यद्यपि इस न्यायालय को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र का अतिक्रमण करने में चौकस रहना चाहिए, न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध कोई सर्वव्यापक निषेध नहीं कहा जा सकता है। पैरा 49।
- ❖ वर्तमान मामले में, जैसाकि हमने ऊपर बताया है कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ ऐसी सामग्री को रिकॉर्ड में रखा है जिस पर **प्रथम दृष्टया** इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा बताये गये किसी भी तथ्य का कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। प्रतिवादी भारत सरकार द्वारा दायर 'सीमित हलफनामे' में केवल एक सर्वव्यापी और अस्पष्ट इंकार किया गया है, जो पर्याप्त नहीं हो सकता है। **ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच के लिए बनाये गये प्रथम दृष्टया मामले को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पैरा 51।**
- ❖ राष्ट्रीय हित में और/या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आतंकवाद, अपराध व भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए गुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी और डेटा एकत्र करने के विभिन्न रूप दुनिया भर में स्वीकृत मानदंड है। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क नहीं है कि राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में डेटा की निगरानी/संग्रह का सहारा लेना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की शिकायत नागरिकों के निजता के अधिकार के उल्लंघन में स्पाइवेयर के दुरुपयोग या संभावित दुरुपयोग के बारे में है। प्रतिवादी भारत सरकार का यह भी तर्क नहीं है कि उसकी एजेंसियां अपने नागरिकों से संबंधित डेटा की निगरानी/संग्रह का सहारा ले सकती है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित शामिल नहीं हैं। प्रतिवादी भारत सरकार की आशंका यह है कि इस ओर से किसी भी

*There is thus a broad consensus that unauthorised surveillance/accessing of stored data from the phones and other devices of citizens for reasons other than the nation's security would be illegal, objectionable and a matter of concern. Para 52*

- ❖ *We are of the opinion that in the circumstances of the present case, when the Respondent Union of India has already been given multiple opportunities to file an affidavit on record, and looking to the conduct of the Respondent Union of India in not placing on record any facts through their Reliance on the "national security" defence, no useful purpose would be served by issuing directions of the nature sought by Mr Shyam Divan, apart from causing a further delay in proceedings. Para 53*
- ❖ *Instead, we are inclined to pass an order appointing an Expert Committee whose functioning will be overseen by a retired Judge of the Supreme Court. Such a course of action has been adopted by this Court in various other circumstances when the Court found it fit in the facts and circumstances of the case to probe the truth or falsity of certain allegations, taking into account the public importance and the alleged scope and nature of the largescale violation of the fundamental rights of the citizens of the country [See Ram Jethmalani (supra); Extra Judicial Execution Victim Families Association v. Union of India, (2013) 2 SCC 493; G.S. Mani v. Union of India, order dated 12.12.2019 in W.P. (Crl.) No. 348 of 2019]. Para 55*
- ❖ *The compelling circumstances that have weighed with us to pass such an order are as follows:*
  - i. *Right to privacy and freedom of speech are alleged to be impacted, which needs to be examined.*
  - ii. *The entire citizenry is affected by such allegations due to the potential chilling effect.*
  - iii. *No clear stand taken by the Respondent Union of India regarding actions taken by it.*
  - iv. *Seriousness accorded to the allegations by*

जांच से राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उसके कदमों को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। इस प्रकार एक व्यापक सहमति है कि राष्ट्र की सुरक्षा के अलावा अन्य कारणों से नागरिकों के फोन और अन्य उपकरणों से संग्रहित डेटा की अनधिकृत निगरानी/एक्सेस, अवैध, आपत्तिजनक और चिंता का विषय होगा। पैरा 52।

- ❖ हमारी राय है कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, जब प्रतिवादी भारत सरकार को पहले से ही रिकॉर्ड पर एक हलफनामा दायर करने के लिए कई अवसर दिये गये हैं और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' रक्षा पर अपने रिलायंस के माध्यम से किसी भी तथ्य को रिकॉर्ड में नहीं रखने के लिए प्रतिवादी भारत सरकार के आचरण को देखते हुए, कार्यवाही में देरी करने के अलावा श्री श्याम दीवान द्वारा मांगे गये प्रकृति के निर्देश जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा पैरा 53
- ❖ इसके बजाय, हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का आदेश पारित करने के ईच्छुक हैं जिसके कामकाज की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। इस तरह की कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अन्य परिस्थितियों में अपनाई गयी है जब न्यायालय ने सार्वजनिक महत्व और कथित दायरे को ध्यान में रखते हुए कुछ आरोपों की सच्चाई या झूठ की जांच करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे उपयुक्त पाया और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की प्रकृति (दिएँ राम जेठमलानी (सुप्रा): अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ बनाम भारत सरकार (2013) 2 एससीसी 493, जीएस मणि बनाम भारत संघ, आदेश दिनांक 12.12.2019 को डब्लू.पी (Crl) 2019 की संख्या 348)। पैरा 55
- ❖ इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए जिन मजबूर परिस्थितियों का योगदान हमारे साथ है। वे इस प्रकार हैं:
  - i. निजता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता पर कथित रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।
  - ii. संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण इस तरह के आरोपों से पूरा नागरिक प्रभावित है।
  - iii. इसके द्वारा की गयी कार्रवाई के संबंध में भारत के प्रतिवादी संघ द्वारा कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया गया है।

foreign countries and involvement of foreign parties.

- v. Possibility that some foreign authority, agency, or private entity is involved in placing citizens of this country under surveillance.
- vi. Allegations that the Union or State Governments are parties to the rights' deprivations of the citizens.
- vii. Limitation under writ jurisdiction to delve into factual aspects. For instance, even the usage of the technology on citizens, which is the jurisdictional fact, is disputed and requires further factual examination.

❖ It is for a reason (vi) above that we decline the Respondent Union of India's plea to allow them to appoint an Expert Committee for the purposes of investigating the allegations, as such a course of action would violate the settled judicial principle against bias, i.e., that 'justice must not only be done but also be seen to be done.' **Para 57**

❖ At this juncture, it would be appropriate to state that in this world of conflicts, it was an extremely uphill task to find and select experts who are free from prejudices, are independent and competent. Rather than relying upon any Government agencies, we have constituted the Committee and shortlisted expert members based on biodatas and information collected independently. Some of the candidates politely declined this assignment, while others had some conflict of interest. With our best intentions and efforts, we have shortlisted and chosen the most renowned experts available to be a part of the Committee. Additionally, we have also left it to the discretion of the learned overseeing judge to take assistance from an expert, if necessary, to ensure absolute transparency and efficiency, as directed in paragraph 62(3). **Para 58**

◆ The terms of reference of the Committee are as follows:

A. To enquire, investigate and determine:

- i. Whether the **Pegasus suite of spyware** was used on phones or other devices of the citizens of India to access stored data,

iv. विदेशों द्वारा लगाये गये आरोपों और विदेशी पार्टियों की संलिप्तता को गंभीरता से लिया गया।

v. संभावना है कि इस देश के नागरिकों को निगरानी में रखने में कोई विदेशी प्राधिकरण, एजेंसी या निजी संस्था शामिल है।

vi. आरोप है कि केंद्र या राज्य सरकारें नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने के पक्षकार हैं।

vii. रिट क्षेत्राधिकार के तहत तथ्यात्मक पहलुओं में तल्लीन करने की सीमा। उदाहरण के लिए यहां तक कि नागरिकों पर तकनीकी का उपयोग, जो कि अधिकार क्षेत्र का तथ्य है, विवादित है और इसके लिए और अधिक तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता है।

❖ यह उपरोक्त कारण (vi) के लिए है कि हम आरोपों की जांच के प्रायोजन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए भारत के प्रतिवादी संघ की याचिका को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही पूर्वाग्रह के खिलाफ स्थापित न्यायिक सिद्धांत का उल्लंघन करेगी, यानी कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। **पैरा 57**

❖ इस समय यह बताना उचित होगा कि संघर्षों की इस दुनिया में, पूर्वाग्रहों से मुक्त, स्वतंत्र और सक्षम विशेषज्ञों को ढूंढना और उनका चयन करना एक अत्यंत कठिन कार्य था। किसी भी सरकारी एजेंसी पर भरोसा करने के बजाय, हमने स्वतंत्र रूप से एकत्र किये गये बायोडेटा और जानकारी के आधार पर समिति का गठन किया है और विशेषज्ञ सदस्यों को शॉर्ट लिस्ट किया है। कुछ उम्मीदवारों ने विनम्रतापूर्वक इस असाइनमेंट को अस्वीकार कर दिया, जबकि अन्य में कुछ हितों का ठकराव था। हमारे सर्वोत्तम इरादों व प्रयासों के साथ, हमने समिति का हिस्सा बनने के लिए उपलब्ध सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों को शॉर्टलिस्ट किया और चुना है। इसके अतिरिक्त, हमने पैरा **63 (3)** में निर्देशित पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए विद्वान पर्यवेक्षक न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया है। **पैरा 58**

◆ समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

ए. पूछताछ करने, जांच करने और निर्धारित करने के लिए:

- i. क्या **स्पायवेयर के पेगासस सूट** का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहित

*eavesdrop on conversations, intercept information and/or for any other purposes not explicitly stated herein?*

- ii. *The details of the victims and/or persons affected by such a spyware attack.*
- iii. *What steps/actions have been taken by the Respondent Union of India after reports were published in the year 2019 about the hacking of WhatsApp accounts of Indian citizens, using the Pegasus suite of spyware.*
- iv. *Whether any Pegasus suite of spyware was acquired by the Respondent Union of India, or any State Government, or any central or State agency for use against the citizens of India? Para 61*
- v. *If any governmental agency has used the Pegasus suite of spyware on the citizens of this country, under what law, rule, guideline, protocol, or lawful procedure was such deployment made.*
- vi. *If any domestic entity/person has used the spyware on the citizens of this country then is such a use authorised?*
- vii. *Any other matter or aspect which may be connected, ancillary or incidental to the above terms of reference, which the Committee may deem fit and proper to investigate.*

डेटा तक पहुंचने, बातचीत सुनने, इंटरसेप्ट जानकारी और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए यहां स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है?

- ii. ऐसे स्पायवेयर हमले से प्रभावित हुए लोगों और/या व्यक्तियों का विवरण।
- iii. स्पायवेयर के पेगासस सूट का उपयोग करके भारतीय नागरिकों के वॉट्सऐप खातों की हैकिंग के बारे में वर्ष 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद प्रतिवादी भारत संघ द्वारा क्या कदम/कार्रवाई की गयी है?
- iv. क्या भारत के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए स्पाइवेयर का कोई पेगासस सूट प्रतिवादी भारत संघ या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्रीय या राज्य एजेंसी द्वारा अधिग्रहित किया गया था? पैरा 61।
- v. अगर किसी सरकारी एजेंसी ने इस देश के नागरिकों पर स्पायवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल किया है तो किस कानून, नियम, दिशानिर्देश, प्रोटोकॉल या वैध प्रक्रिया के तहत ऐसी तैनाती की गयी थी।
- vi. यदि किसी घरेलू संस्था/व्यक्ति ने इस देश के नागरिकों पर स्पाइवेयर का प्रयोग किया है तो क्या ऐसा प्रयोग अधिकृत है?
- vii. कोई अन्य मामला या पहलू जो उपरोक्त संदर्भ की शर्तों से जुड़ा, सहायक या आनुषंगिक हो सकता है जिसे समिति जांच के लिए उपयुक्त व उचित समझे।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR  
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY



MAGAZINE

... You Know What You are doing  
But Nobody Else Does

**ADVERTISE NOW!**

Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com

## B. To make recommendations:

- i. Regarding **enactment or amendment** to existing law and procedures surrounding surveillance and securing the improved right to privacy.
- ii. Regarding **enhancing and improving the cyber security** of the nation and its assets.
- iii. To ensure **prevention of invasion of citizens' right to privacy**, otherwise, then in accordance with the law, by State and/or nonstate entities through such spyware.
- iv. Regarding **establishing a mechanism for citizens** to raise grievances on suspicion of illegal surveillance of their devices.
- v. Regarding the setting up of a **well-equipped independent premier agency** to investigate cyber security vulnerabilities for threat assessment relating to cyberattacks and to investigate instances of cyberattacks in the country.
- vi. Regarding any **ad hoc arrangement** that may be made by this Court as an interim measure for the protection of citizen's rights, pending filling up of lacunae by the Parliament.
- vii. On any other **ancillary matter** that the Committee may deem fit and proper. **Para 61**

### COMMENT:

When the Pegasus allegations were made, and writs began to be filed in the Supreme Court demanding a court supervised independent investigation the Supreme Court was initially disinclined to pass any such order. But with numerous adjournments granted the Government failed to satisfy the Court that it was neither aware nor was even involved in the matter. It tried to take refuge in the Parliamentary statement of the Telecom Minister denying the allegations. It then made insinuations that in some way national security was going involved if the matter was investigated. The Supreme Court was not impressed. Its key concern is clearly whether Pegasus hacking indeed happened in India and if so, was freedom of speech and expression of the citizens was affected. The next hearing is scheduled after 8 weeks. A lot will still depend on the level of cooperation the Supreme Court appointed Committee gets from the Government.

## बी. सिफारिशें करने के लिए:

- i. निगरानी के आसपास के मौजूदा कानून और **प्रतिक्रियाओं के अधिनियमन या संशोधन** के संबंध में और निजता के बेहतर अधिकार को सुरक्षित करने के संबंध में।
- ii. देश और उसकी संपत्तियों की **साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और सुधारने के संबंध में**।
- iii. **नागरिकों के निजता के अधिकार पर आक्रमण की रोकथाम** सुनिश्चित करने के लिए अन्यथा कानून के अनुसार, ऐसे स्पाइवेयर के माध्यम से राज्य और/या गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा।
- iv. **नागरिकों को उनके उपकरणों की अवैध निगरानी के संदेह पर शिकायतें उठाने के लिए एक तंत्र स्थापित** करने के संबंध में।
- v. साइबर हमले से संबंधित खतरों के आकलन के लिए साइबर सुरक्षा कमजोरियों की जांच करने और देश में साइबर हमले की घटनाओं की जांच करने के लिए **एक सुसज्जित स्वतंत्र प्रीमियर एजेंसी** की स्थापना के संबंध में।
- vi. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम उपाय के रूप में इस न्यायालय द्वारा की जाने किसी भी **तदर्थ व्यवस्था** के संबंध में, संसद द्वारा कमियों को भरने के लिए लंबित है।
- vii. किसी **अन्य सहायक मामले** पर जो समिति उचित और उपयुक्त समझे **पैरा 61**।

### टिप्पणी:

जब पेगासस के आरोप लगाये गये थे और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने की मांग की गयी थी कि एक अदालत ने स्वतंत्र जांच की निगरानी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ऐसा कोई आदेश पारित करने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन कई स्थगनों के साथ सरकार अदालत को संतुष्ट करने में विफल रही कि वह इस मामले में न तो जागरूक थी और न ही इसमें शामिल थी। इसने आरोपों से इंकार करते हुए दूरसंचार मंत्री के संसदीय बयान की शरण लेने की कोशिश की। इसके बाद यह आरोप लगाया कि अगर मामले की जांच की गयी तो किसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट प्रभावित नहीं हुआ। इसकी प्रमुख चिंता स्पष्ट रूप से यह है कि क्या पेगासस हैकिंग वास्तव में भारत में हुई थी और यदि हां, तो क्या नागरिकों की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी। अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद निर्धारित की गयी है। अभी भी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को सरकार से किस स्तर पर सहयोग मिलता है।

**D. MEDIA BRIEF**  
(Short Take On Significant Developments)

**1. REVISED BROADCASTER TARIFF RATES- NEGATION OF NTO:2?**

A. As is well known, the Bombay High Court substantially rejected the appeal of the Broadcasters against the **2020** amendments to the New Tariff Regulations by its order dated **30 June 2021**. The High Court in its order held TRAI had the power to regulate tariff set by broadcasters and agreed with TRAI that the **2020** amendments were in public interest. Barring one of the limbs of the *twin conditions* it upheld the **NTO:2 Tariff Order**. The Broadcasters filed a **Special Leave Petition** in the Supreme Court. In its latest order on **01.10.2021**, the Supreme Court again rejected the plea for stay and stated:



❖ *The request for interim relief is rejected at this stage, as this batch of matters is directed to be listed before the appropriate Court for final disposal on 30.11.2021.*

B. In view of the rejection of interim stay TRAI wrote on **13 October 2021**, to the Broadcasters on to implement the **New Tariff Order**. It stated:

❖ *The Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, vide its Judgement dated 30 June, 2021, passed in the Writ Petition No 680 of 2020 [(W.P. (L) No 116 of 2020)], titled as the 'Film and Television Producer's Guild of India Ltd & Another vs The Union of India & Another' and other connected matters therewith, has upheld the validity of New Regulatory Framework 2020 except for the condition of the average test provided in the third proviso to sub-clause (3) of clause 3 of the Tariff Amendment Order 2020." Accordingly, all such Broadcasters who have not complied so far are required to comply with all provisions of New Regulatory*

**डी. मीडिया संक्षिप्त**  
(महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर संक्षिप्त विचार)

**1. संशोधित ब्रॉडकास्टर टैरिफ दरें-एनटीओ: 2 का निषेध**

ए. जैसाकि सर्वविदित है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिनांक **30 जून 2021** द्वारा नये टैरिफ विनियमों में **2020** के संशोधनों के खिलाफ प्रसारकों की अपील को काफी हद तक खारिज दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ट्राई के पास प्रसारकों द्वारा निर्धारित टैरिफ को विनियमित करने की शक्ति थी और ट्राई के साथ सहमति व्यक्त की कि **2020** के संशोधन जनहित में थे। दो शर्तों के एक अंग को छोड़कर इसने **एनटीओ 2.0 टैरिफ आदेश** को बरकरार रखा। प्रसारकों ने सुप्रीम कोर्ट में **स्पेशल लीव पिटीशन** दायर की। **01.01.2021** को अपने नवीनतम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए याचिका को फिर से खारिज कर दिया और कहा:

❖ *अंतरिम राहत के अनुरोध को इस स्तर पर खारिज कर दिया गया है क्योंकि मामलों के इस बैच को 30.11.2021 को अंतिम निपटान के लिए उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।*

बी. अंतरिम रोक की अस्वीकृति के मद्देनजर ट्राई ने **13 अक्टूबर 2021** को प्रसारकों को **नये टैरिफ आदेश** को लागू करने के लिए लिखा। इसमें कहा गया है कि :

❖ *बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30 जून 2021 के द्वारा, 2020 की रिट याचिका संख्या 680 (2020 के डब्ल्यूपी (एल) संख्या 116) में पारित किया गया, जिसका शीर्षक 'फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया व अन्य और उससे जुड़े अन्य मामलों' के शीर्षक ने तीसरे प्रावधान में प्रदान किये गये और औसत परीक्षण की शर्त को छोड़कर नये नियामक ढांचे 2020 की वैधता को बरकरार रखा है जो कि टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के खंड 3 के उप-खंड (3) के अनुसार है। इसके अनुसार ऐसे सभी प्रसारकों, जिन्होंने अब तक अनुपालन नहीं किया है, को मुंबई के माननीय*



*Framework 2020 as upheld by Hon'ble Court of Mumbai and report compliance to the Authority within 10 days of issue of this letter."*

- C. The Broadcasters started announcing the new rates with one common feature. All the driver channels were taken out of the bouquets and priced a la carte. For instance, in compliance with this direction, **Disney Star T.V.** filed its **Reference Interconnect Offer** on **16.10.2021** with **TRAI** by taking its driver channels **out of bouquets** and pricing it is driver entertainment and sports channels **higher than Rs 12**, thereby keeping them out of any of its revised bouquets. It simultaneously announced the launch of new channels, including **9** new H.D. channels and **7** new S.D. channels between **December 2021** and **January 2022**; the **16** new channels will take its total T.V. channels to **78**. Other Broadcasters followed suit.
- D. This was accompanied by a series of so-called backgrounders which started appearing mainly in digital media claiming that there would be a tremendous increase in rates of pay T.V. channels and simultaneously berating TRAI and challenging its very competence to regulate Broadcasters. The objective was to create panic and get the ruling dispensation to direct TRAI to withdraw the amended Tariff Order. This backfired.
- E. In a Press Release issued on **23.10.2021**, **TRAI** was quoted by **Press Trust of India (PTI)** to state:
- ❖ *"The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has warned the Broadcasters saying that it will take action, if necessary, in the interest of consumers and the Sector. The Regulator on Friday said that some of the Broadcasters are "exploiting" the freedom they have got for a-la-carte pricing of the T.V. channels.*
  - ❖ *According to the PTI report, TRAI said that some leading Broadcasters are taking advantage of the new rules and have increased the prices of popular channels or channels, driving traffic. These channels are primarily the sports and general entertainment channels (G.E.C.).*
  - ❖ *The Regulator said that the New Tariff Order*

न्यायालय द्वारा बनाये गये **न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020** के सभी प्रावधानों का पालन करने और इस पत्र के जारी होने के **10 दिनों** के भीतर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।'

- सी. प्रसारकों ने एक सामान्य विशेषता के साथ नयी दरों की घोषणा करना शुरू कर दिया। सभी प्रमुख चैनलों को बुके से निकाल दिया गया और ए लॉ कार्टे की कीमत तय की गयी। उदाहरण के लिए इस निर्देश के अनुपालन में **डिज्नी-स्टार टीवी** ने **16.10.2021** को अपने प्रमुख चैनल को बुके से बाहर निकालकर उसका मूल्य **12 रुपये** से अधिक तय करने के साथ-साथ स्पोर्ट्स चैनल को भी बुके से अलग करते हुए **ट्राई** के सामने **रेफ़रेंस इंटरकनेक्ट ऑफ़र** दिया किया। इसके एक साथ इसने **दिसंबर 2021** और **जनवरी 2022** के बीच **9** नये एचडी सहित **7** एसडी चैनल को लॉन्च करने की भी घोषणा कर दी। इस **16** नये चैनलों के साथ इसकी कुल चैनल संख्या **78** तक पहुंच जायेगी। उम्मीद है कि अन्य प्रसारकों द्वारा भी इसका अनुसरण किया जायेगा।
- डी. इसके साथ तथाकथित बैकग्राउंडर्स की एक श्रृंखला भी थी जो मुख्य रूप से डिजिटल मीडिया में यह दावा करते हुए भी दिखाई देने लगे थे कि पे टीवी चैनलों की दरों में जबरदस्त वृद्धि होगी और साथ ही ट्राई को फटकार लगायी और प्रसारकों को विनियमित करने की इसकी क्षमता को चुनौती दी। इसका उद्देश्य आतंक पैदा करना और सत्तारूढ़ सरकार को ट्राई के संशोधित टैरिफ आदेश को वापस लेने का निर्देश देना था। इसका उल्टा असर हुआ।
- ई. **23.10.2021** को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में **ट्राई** को **प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई)** द्वारा ट्राई को उद्धृत करते हुए बताया गया:
- ❖ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रसारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो उपभोक्ताओं और सेक्टर के हित में कार्रवाई की जायेगी। नियामक ने यह भी बताया कि कुछ प्रसारक टीवी चैनलों के **ए-लॉ-कार्टे** मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का शोषण कर रहे हैं।
  - ❖ **पीटीआई** की रिपोर्ट के मुताबिक **ट्राई** ने कहा कि कुछ प्रमुख प्रसारक नये नियमों का फायदा उठा रहे हैं और ट्रैफिक को बढ़ावा देते हुए लोकप्रिय चैनलों या चैनलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। ये चैनल मुख्य रूप से खेल और सामान्य मनोरंजन चैनल (जीईसी) हैं।
  - ❖ नियामक ने यह भी कहा कि **नयी टैरिफ आदेश**

*(NTO 2.0) and Broadcast Regulations are blamed for the impending price increase. TRAI noted that a misleading campaign has been running to blame the NTO 2.0 for the price increase. As per TRAI, it is being publicised that people who go for the top sports or the G.E.C. channels will have to pay Rs 100 extra. But this is not true. TRAI said that it is "a fictional pretension."*

❖ *The Regulator has clarified that NTO 2.0 does not put forth any condition where the subscription prices are increased.*

**E.** The warning by TRAI has reduced anti-regulatory press backgrounders but the Broadcasters have stuck to their own interpretation of the NTO:2. This will if not discussed mutually between the Regulator/Broadcasters/MSOs/D.T.H. Operators and Last Mile Operator definitely increase Pay T.V. prices.

**G.** **The impact of this on customer purses being heavy could lead to increased adoption of a la carte choice of driver channels and reduced subscription to bouquet channels. In short, the old model is being broken with no sensible packaging currently being attempted. One will have to watch further developments. But one thing is certain. If the standoff continues, digital media and O.T.T. will gain at the cost of legacy distribution chains and cord cutting will be an unpleasant fact.**

## 2. WELCOME DOT INITIATIVES

Two recent policy initiatives on **Right of Way (RoW)** and revised definition of **Adjusted Gross Revenue (A.G.R.)** should bring succour to the cable community for both fibre connectivity and supply of broadband services to the customers.

1. The Department of Telecommunications notified the **Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2021** on **21 October 2021** to incorporate the provisions related to **nominal one-time compensation** and uniform procedure for establishment of Overground Telegraph Line in the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.

The amount of **one-time compensation** for establishment of overground telegraph line will be **maximum one thousand rupees per kilometre.**

**(एनटीओ 2.0)** और प्रसारण विनियम आसन्न मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ट्राई ने उल्लेख किया कि मूल्य वृद्धि के लिए **एनटीओ 2.0** को दोष देने के लिए एक भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है। ट्राई के अनुसार यह प्रचारित किया जा रहा है कि जो लोग शीर्ष खेल या प्रमुख जीईसी चैनलों के लिए जाते हैं उन्हें **100 रुपये** अतिरिक्त देने होंगे। पर यह सच नहीं है। **ट्राई ने यह कहा कि यह 'काल्पनिक ढोंग' है।**

❖ **नियामक ने स्पष्ट किया है कि एनटीओ 2.0 सदस्यता की कीमतों में वृद्धि होने को लेकर कोई शर्त नहीं रखता है।**

**एफ.** ट्राई की चेतावनी ने नियामक विरोधी प्रेस पृष्ठभूमिकारों को कम कर दिया है लेकिन प्रसारक **एनटीओ 2.0** की अपनी व्याख्या पर अड़े हुए हैं। यदि नियामक/प्रसारक/एमएसओ/डीटीएच ऑपरेटर और लास्ट माइल ऑपरेटर निश्चित रूप से पे टीवी की कीमतों में वृद्धि करते हैं।

**जी.** ग्राहक पर्स पर इसके प्रभाव से प्रमुख चैनलों के लिए ला कार्टे विकल्प को अपनाने में वृद्धि हो सकती है और बुके चैनलों की सदस्यता कम हो सकती है। संक्षेप में पुराने मॉडल को तोड़ा जा रहा है और वर्तमान में कोई समझदार पैकेजिंग का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आगे की घटनाक्रम को देखना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि गतिरोध जारी रहा तो डिजिटल मीडिया और ओटीटी विरासत श्रृंखलाओं की कीमत पर लाभ होगा और कॉर्ड कटिंग एक अप्रिय तथ्य होगा।

## 2. डॉट के पहल का स्वागत है

**राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)** और **समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)** की संशोधित परिभाषा पर दो हालिया नीतिगत पहलों से ग्राहकों को फाइबर कनेक्टिविटी और बॉडबैंड सेवाओं की आपूर्ति दोनों के लिए केवल समुदाय को मदद मिलनी चाहिए।

1. दूरसंचार विभाग ने **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021** को **21 अक्टूबर 2021** को अधिसूचित किया है जिसमें **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे 2016** नियमों में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए **नाममात्र एकमुश्त मुआवजे** और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था।

ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि **अधिकतम एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर**

Documentation for RoW application for overground telegraph line has been made simple.

Also, there will be no fee other than Administrative fee and Restoration charges for *establishing, maintaining, working, repairing, transferring, or shifting the underground and over ground telegraph infrastructure.*

These amendments will ease **Right of Way** related permission procedures for establishment and augmentation of Digital Communications Infrastructure across the country.

2. The Department of Telecommunications on **25 October 2021** amended the **A.G.R.** computation under the Unified Licence as applicable to Internet Telephony by providing a fresh formula for computation of **A.G.R.** whereby non- telecom items are now excluded including the following

- (i) **Revenue from operations** other than telecom activities/ operations.
- (ii) **Revenue from activities** under a license/ permission issued by **Ministry of Information and Broadcasting.**
- (iii) **Receipts** from the **U.S.O. Fund.**
- (iv) **List of other income\*** to be excluded from A.G.R. to arrive at ApGR
  - a. **Income from Dividend.**
  - b. **Income from Interest.**
  - c. **Capital Gains** on account of profit of Sale of fixed assets and securities.
  - d. **Gains from Foreign Exchange** rates fluctuations.
  - e. **Income from property rent.**
  - f. **Insurance claims.**
  - g. **Bad Debts recovered.**
  - h. **Excess Provisions written back.**

\*This is subject to conditions in **Annexure VII.**

## COMMENTS

*In an era of multimedia convergence it is very necessary from M.S.O.'s and Last Mile Operators to start providing high speed broadband services to its millions of customers to create a stickiness factor. These new moves should help the Cable Sector to provide more effective competition to the powerful Telecom Sector. ■*

होगी। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए आरओडब्लू आवेदन के दस्तावेजीकरण को सरल बना दिया गया है। साथ ही, भूमिगत और जमीन के ऊपर टेलीग्राफ के **बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव, काम, मरम्मत, स्थानांतरण या स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा और कोई शुल्क नहीं होगा।**

इन संशोधनों से देशभर में डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना और संवर्द्धन के लिए **राइट ऑफ वे** से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाया जायेगा।

2. दूरसंचार विभाग ने **25 अक्टूबर 2021** को एजीआर की गणना के लिए एक नया सूत्र प्रदान करके इंटरनेट टेलीफोनी पर लागू एकीकृत लाइसेंस के तहत **ए.जी.आर** गणना में संशोधन किया है जिसे गैर दूरसंचार मदों को अब निम्नलिखित सहित बाहर बाहर रखा गया है:

- (i) दूरसंचार गतिविधियों/संचालन के अलावा अन्य **संचालन से राजस्व।**
- (ii) **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति के तहत **गतिविधियों से प्राप्त राजस्व।**
- (iii) **यूएसओ फंड से प्राप्तियां।**
- (iv) एपीजीआर पर पहुंचने के लिए जीआर से बाहर रखी जाने वाली **अन्य आय की सूची।**
  - ए. **लाभांश से लाभ।**
  - बी. **ब्याज से आय।**
  - सी. **अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री के लाभ के कारण पूंजीगत लाभ।**
  - डी. **विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ।**
  - ई. **संपत्ति के किराये से लाभ।**
  - एफ. **बीमा दावा।**
  - जी. **खराब कर्ज की वापसी।**
  - एच. **अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गये।**

\*यह **अनुबंध VII** की शर्तों के अधीन है।

## टिप्पणियां:

मल्टीमीडिया कन्वर्जंस के युग में एमएसओ और लास्ट माइल ऑपरेटर्स के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे अपने लाखों ग्राहकों को एक वाध्यकारी कारक बनाने के लिए उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवायें प्रदान करना शुरू करें। इन नये कदमों से केवल क्षेत्र की शक्तिशाली दूरसंचार क्षेत्र को अधिक प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ■